www.dhyeyaias.com

दिसम्बर 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2020

एक अवलोकन

2 कोविड-19 टीका वितरण : केन्द्र-राज्य में बेहतर समन्वय की आवश्यकता

3 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 रिपोर्ट : एक विश्लेषण

4 भारत में अदालत की अवमानना पर छिड़ती बहस

5 भारत-बांग्लादेश संबंध : एक नये दौर में

6 भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी

7 ब्रेक्जिट के बाद भारत के लिए ब्रिटेन का महत्व

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

दिसम्बर 2020 | अंक 04

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2020 : एक अवलोकन
- कोविड-19 टीका वितरण : केन्द्र-राज्य में बेहतर समन्वय की आवश्यकता
- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 रिपोर्ट : एक विश्लेषण
- भारत में अदालत की अवमानना पर छिड़ती बहस
- भारत-बांग्लादेश संबंध : एक नये दौर में
- भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी
- ब्रेक्जिट के बाद भारत के लिए ब्रिटेन का महत्व

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 33

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरिराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट–2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2020 (Emissions Gap Report 2020) जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अगर अभी भी पर्यावरण अनुकूल फैसले लिए जाते हैं तो 2030 तक के अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है।

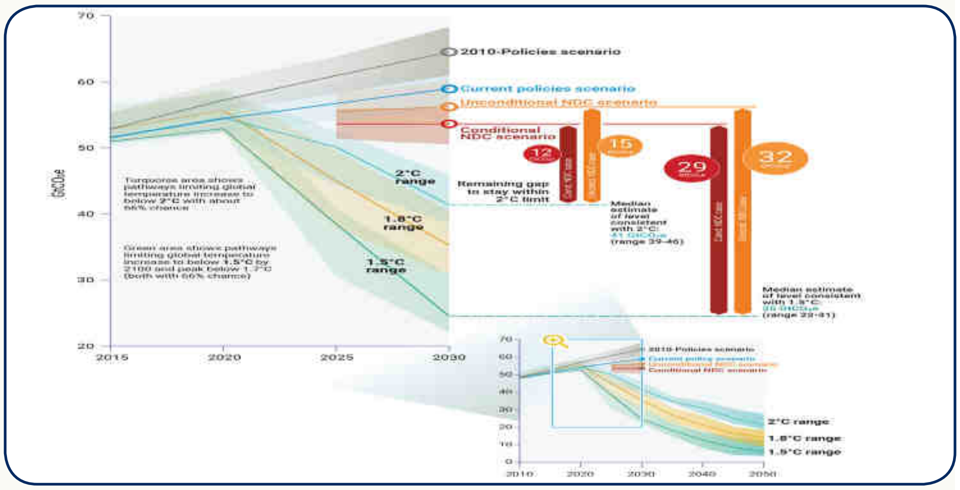

क्या है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट?

- हर साल एमिशन गैप रिपोर्ट उस गैप या अंतर को सबके सामने रखती है जो प्रत्याशित उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से नीचे रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वीकार्य उत्सर्जन के बीच होता है। यह अंतर जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है।

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- यूएन द्वारा प्रकाशित "एमिशन गैप रिपोर्ट 2020" से पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है, तो सदी के अंत तक यह वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी, जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे।
- तापमान में आ रही इस वृद्धि का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा। बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का आना आम बात हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा।
- जहां एक तरफ यह आपदाएं उनके जीवन पर असर डालेंगी, वहीं दूसरी तरफ यह कृषि पर भी असर करेंगी जिसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और उसके कारण आए ठहराव के चलते उत्सर्जन में कुछ कमी आई थी पर वो कमी लम्बे समय तक नहीं रहेगी।
- रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से आई आर्थिक मंदी के चलते 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 7 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि यह कमी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में कोई ज्यादा मदद नहीं करेगी।
- अनुमान है कि 2020 में उत्सर्जन में जो कमी आई है, उसके चलते 2050 तक तापमान में सिर्फ 0.01 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ऐसे में यदि महामारी का फायदा उठाना है तो इस आर्थिक मंदी से उबरते वक्त पर्यावरण और जलवायु को भी ध्यान में रखना होगा। इस महामारी ने हमें एक ऐसा मौका भी दिया है जिसका लाभ उठाकर हम अपने उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं और आने वाले वक्त में 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
- यदि रिपोर्ट में दिए आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार तीसरे साल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2019 में बढ़कर अब तक के 59.1 गीगाटन (ग्रीन हाउस गैस + भूमि उपयोग में आया परिवर्तन) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जबकि 2010 से उत्सर्जन में औसतन 1.4 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही थी, जो 2019 में बढ़कर 2.6 फीसदी पर पहुंच चुकी है।

भारत में उत्सर्जन में वृद्धि

- यदि भारत के उत्सर्जन को देखें तो 2019 के दौरान भारत में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस

गैसों का उत्सर्जन हुआ था। इस आधार पर भारत, चीन (14 गीगाटन), अमेरिका (6.6 गीगाटन) और यूरोप (4.3 गीगाटन) के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। जबकि यदि भारत में प्रति व्यक्ति द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन पर गौर करें तो यह 2.7 टन CO_2 प्रति व्यक्ति है, जोकि अंतर्राष्ट्रीय औसत (6.8 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति) से भी काफी कम है।

- साथ ही यह चीन (9.7 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति), अमेरिका (20 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति), यूरोप CO_2 (8.6 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति), रूस (17.4 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति) और जापान (10.7 टन CO_2 प्रतिव्यक्ति) से भी कई गुना कम है। यदि भारत द्वारा 2010 के बाद से किए जा रहे उत्सर्जन की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष औसतन 3.3 फीसदी की दर से बढ़ रहा था।
- भारत अपने उत्सर्जन में कमी करने के लिए कई प्रयास कर रहा है इसी दिशा में उसने 2020 के पहले छह महीनों में कोई नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित नहीं किया है। यही वजह है कि कोयले से उत्पन्न हो रही ऊर्जा में करीब 0.3 गीगावाट की कमी आई है। हालांकि भारत की रणनीति भविष्य में भी कोयला से ऊर्जा प्राप्त करने की है। यही वजह है कि 2020 में भारत का घरेलू कोयला उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

वैश्विक देशों का उत्सर्जन में योगदान

- G20 देशों का उत्सर्जन में बड़ा हिस्सा है। पिछले एक दशक में शीर्ष चार उत्सर्जक (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और भारत) ने भूमि उपयोग परिवर्तन (land use changes -LUC) के बिना कुल GHG उत्सर्जन का 55 प्रतिशत योगदान दिया है। शीर्ष सात उत्सर्जकों (रूसी संघ, जापान और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सहित) ने 65 प्रतिशत योगदान दिया है, जिसमें G20 सदस्यों का 78 प्रतिशत हिस्सा है।
- हालांकि विगत कुछ समय में ऐसे संकेत जरूर मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि दर धीमी हुई है। एक चिंतनीय पहलू यह है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट आ रही है और गैर- ओईसीडी (OECD) अर्थव्यवस्थाओं में यह उत्सर्जन बढ़ रहा है।

उत्सर्जन पर कोविड 19 महामारी का प्रभाव

- वर्ष 2020 में वैश्विक देशों में आर्थिक तालाबंदी के चलते CO2 उत्सर्जन वर्ष 2019 के उत्सर्जन स्तर के मुकाबले 7% तक घट सकता है। किन्तु अन्य ग्रीन हाउस गैसें, जैसे- मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि वर्ष 2019 और 2020, दोनों में जारी रही है। कोविड 19 महामारी के कारण लम्बे समय तक अधिकांश देशों में लॉकडाउन के कारण परिवहन गतिविधियाँ काफी कम थीं। ऐसे में उत्सर्जन में सबसे कम गिरावट परिवहन क्षेत्र में रही।

भारत द्वारा उत्सर्जन कम करने के प्रयास

- भारत सौर ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, 2022 तक अपने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ने और 25 गीगावॉट क्षमता विकसित करने के लिए निवेश को बढ़ाने की विस्तृत पीएम कुसुम योजना बनाई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 2022 तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे हो रहे उत्सर्जन को सीमित किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे ने 2023 तक अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक रेलवे को उत्सर्जन मुक्त करने का लक्ष्य भी तय किया है।

आगे की राह

- सभी देशों को जीएचजी उत्सर्जन में पाँच गुना तक की कमी लानी होगी, जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वृद्धि के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। उत्सर्जन में तीन गुना तक की कमी से 2 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वृद्धि के लक्ष्य को पाया जा सकेगा। इस लक्ष्य में विकसित देश दुनिया के विकासशील देशों की तुलना में जल्द कारवाई करें तभी हमारी पृथ्वी को बचाया जा सकेगा।
- जंगल की आग, तूफानों, और सूखे के चलते साल 2020 निश्चित रूप से सबसे गर्म सालों में से एक है, लेकिन पर्यावरण अनुकूल निवेश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा घटा सकती हैं और जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मजबूत जलवायु कार्रवाई में निजी क्षेत्र और व्यक्तियों द्वारा उपभोग व्यवहार में बदलाव शामिल होना चाहिए।
- पेरिस समझौता का केंद्रीय उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से रखकर जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में पेरिस समझौते में सभी पक्षकारों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2020 में भूमि उपयोग परिवर्तन पर बल दिया गया है। ऐसे कौन से प्रयास वैश्विक बिरादरी कर सकती है, जिससे उत्सर्जन में तीन गुना तक की कमी से 2 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वृद्धि के लक्ष्य को पाया जा सके। चर्चा कीजिये।

02 कोविड–19 टीका वितरण : केन्द्र–राज्य में बेहतर समन्वय की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आयोजित सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया।
- इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समग्र टीकाकरण रणनीति विकसित कर रही है। साथ ही उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि देश के नागरिकों को और अधिक जागरूक बनाएं और किसी भी तरह के संभावित अफवाह से उन्हें बचाएं क्योंकि सभी राज्यों के सभी पार्टियों के सहयोग से जन आंदोलन और जन भागीदारी ही भारत में टीकाकरण प्रयासों की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं।

परिचय

- गौरतलब है कि सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारतीयों ने इस महामारी से मुकाबले में अदम्य इच्छाशक्ति प्रदर्शित की। इस समूची लड़ाई में भारतीयों द्वारा दिखाया गया धैर्य, साहस और दृढ़ता अतुलनीय है।
- इस दौरान न सिर्फ भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के प्रयास किए बल्कि अन्य देशों के नागरिकों की भी हिफाजत में मदद की। भारत ने वैज्ञानिक कार्य प्रणाली अपनाई जिससे भारत में कोविड-19 से संबंधित परीक्षण को तेज किया जा सका, इससे न सिर्फ पॉजिटिव दर में कमी आई बल्कि कोविड-19 से हो रही मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की अफवाह के खिलाफ सचेत किया, जो कि टीकाकरण के खिलाफ फैलाई जा सकती है और कहा कि यह जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होगा।

भारत में कोविड-19 टीकाकरण की वर्तमान स्थिति

- प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण के 3 केन्द्रों अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के दौरे में हुए अनुभव साझा करते हुए कहा कि तीन स्वदेशी टीकों समेत कुल 8 संभावित टीके भारत में परीक्षण के अलग-अलग चरण में हैं और यह संभावना है कि कोविड-19 का टीका आगामी कुछ हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिक इस टीके को स्वीकृति देते हैं भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।
- इसी संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे समूहों की पहचान कर रही है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी तथा अधिक जोखिम वाली आम जनता जैसे वृद्ध और बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल हैं।
- इसके अलावा टीकाकरण की व्यवस्था को प्रभावी करने के प्रयास के क्रम में स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के आंकड़े, टीकों के संग्रहण के लिए ठंडे बक्सों की व्यवस्था, सिरिंज और नीडल की खरीद की तैयारी अगले चरण में हैं।
- प्रधानमंत्री ने भारत की टीका वितरण में विशेषज्ञता और टीकाकरण के एक अनुभवी एवं बड़े नेटवर्क तथा क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कोविड-19 टीकाकरण में भी हमारी मदद करेगा। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी से अतिरिक्त कोल्ड चेन तथा अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी।
- टीके के प्रबंधन और वितरण के संबंध में कोविड-19 टीका सूचना तंत्र को भी तैयार किया जा चुका है और जिला तथा राज्य स्तर के पदाधिकारियों और अन्य पक्षों के साथ इसका परीक्षण जारी है। हालाँकि सार्वभौमिक टीकाकरण को उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण संबंधी क्षमता संवर्धन एक प्रमुख चुनौती होगी।

कोविड-19 और वैक्सीन राष्ट्रवाद

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुख्य वैज्ञानिक ने COVID-19 के टीके के विकास और वितरण के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बजाय एक बहुपक्षीय या वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- वस्तुत: जब कोई देश सिर्फ अपने नागरिकों या अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है तो इसे 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' नाम दिया जाता है।
- ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई देश वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध होने से पहले ही उन्हें अपने घरेलू बाजार और अपने नागरिकों के लिए एक तरह से रिजर्व करने की कोशिश करता है।
- कई देशों में सरकारी और निजी स्तर पर कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। कुछ का शुरुआती स्तर पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है तो किसी का फाइनल स्टेज में है। लेकिन अभी से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान फ्रांस, जर्मनी जैसे अमीर देश वैक्सीन उत्पादकों के साथ प्री-परचेज एग्रीमेंट कर चुके हैं।
- ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह के प्री-परचेज एग्रीमेंट से कोरोना की वैक्सीन सबकी पहुँच से बाहर हो सकती है। इस तरह के उत्पादन पूर्व समझौते कोरोना वैक्सीन को गरीब देशों की पहुँच से दूर कर देंगे। साथ ही इनकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सभी इन्हें खरीद भी नहीं पाएंगे।
- ऐसे में वैश्विक स्तर पर सस्ते और सुरक्षित टीके के विकास के लिए भारत की तरफ रुख देखा जा रहा है। इसलिए केंद्र और राज्य की साझेदारी भारत को एक नए मुकाम पर ले जा सकती है।

टीकाकरण अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन

- केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की सदस्यता वाले एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, जो कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित अभियान से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालेगा। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार समग्रता में फैसला करेगा।

टीकाकरण की पहुँच के लिए केंद्र-राज्य में समन्वय आवश्यक

- भारत की आवश्यकताओं के आकार और

पैमाने को देखते हुए, केंद्र ने क्षेत्रीय डिपो को टीके पहुंचाने का जिम्मा लिया है। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे कोविड 19 टीका प्राप्त करने के बाद समय पर टीकाकरण संबन्धित सेवाओं के वितरण के लिए प्रभावी कदम उठाएँ।

- संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण प्रदान करती है। विधायी विषयों को प्रथम सूची (संघ सूची), द्वितीय सूची (समवर्ती सूची) और तृतीय सूची (राज्य सूची) में बांटा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लेखित है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समवर्ती सूची केंद्र सरकार को अनुमति देता है कि वह संक्रामक रोगों के विस्तार को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोके। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर, 2005 में लागू किया गया। ये एक राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके. इसके तहत केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कि वह दिए गए निर्देशों का पालन ना करने वाले पर कार्रवाई कर सकती है। इस कानून के तहत राज्य सरकारों को केंद्र की बनायी योजना का पालन करना होता है।
- टीकाकरण पूर्वाभ्यास का मुख्य जोर टीके के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने पर होना चाहिए। इसके अलावा टीका लगाने से संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी और समीक्षा का भी पूर्वाभ्यास किया जाना जरूरी होगा और इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को फीडबैक भेजा जाना और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
- निस्संदेह, कोरोना के खिलाफ अंतिम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में केंद्र तथा राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि टीकाकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए ताकि देश की बेशकीमती जिंदगियों की रक्षा की जा सके।

चुनौतियाँ

- दरअसल, कोरोना से लड़ाई के अंतिम चरण में जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचाने के मार्ग में कई तरह की चुनौतियां शामिल हैं। इसमें टीके का उत्पादन, खरीद, भण्डारण, परिवहन, वितरण और कुशल प्रबंधन शामिल हैं। चिकित्सा तंत्र के ढांचे को देखते हुए आकलन है कि पहले चरण में तीस करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जायेगी, जिसके जुलाई-अगस्त तक पूरा होने का अनुमान है। इसमें स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन स्टाफ; मसलन स्थानीय निकायों के कर्मी, सफाईकर्मी, पुलिस व रक्षा कर्मचारी तथा पचास वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के दौरान देश में टीके के वितरण के लिए साजो सामान और आपूर्ति शृंखला जैसी कई चुनौतियां सामने आएंगी। ये चुनौतियाँ उन राज्यों में बढ़ सकती हैं जहां केंद्र के साथ टकराव चरम पर है।
- कुछ कंपनियों के टीकों को शून्य से 70 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में रखना होगा। बड़े शहरों के अलावा अन्य स्थानों पर इसका प्रबंध करना मुश्किल होगा। इसके अलावा एक अन्य चिंता की बात है कि दो-तीन साल बाद ही पता चल पाएगा कि क्या टीका दीर्घकाल में भी वास्तव में प्रभावी है या नहीं।

आगे की राह

- कोविड-19 वायरस के दुष्प्रभावों से कमोवेश प्रत्येक देश प्रभावित है। इस आपदा से निपटने हेतु सभी देशों को आगे आना होगा। सभी देश एक दूसरे को तकनीकी एवं आर्थिक मदद पहुंचा कर ही सभी देश इस आपदा से बाहर निकल पाएंगे।
- इस आपदा को दूर करने हेतु सभी देशों को संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ना होगा एवं सभी हितधारकों को आपस में सहयोग के द्वारा हर एक व्यक्ति को टीका तक के पहुंच को सुनिश्चित करना होगा।
- इसके साथ ही वैक्सीन के निर्माण से जुड़ी चिंताओं को भी प्रमुखता से हल किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वैक्सीन निर्माण में जरा सी भी चूक से माननीय स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम के बढ़ जाने की संभावना होगी। अतः वैक्सीन से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सतर्कता से वैक्सीन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाए।
- भारत अनुसंधान और विकास के अलावा टीकों के विनिर्माण और वितरण में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारत को अपने वैक्सीन निर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ाकर वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति शृंखला में अपनी महती भूमिका निभा सकता है जिससे भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में न केवल स्थिति महसूस होगी बल्कि दवाओं के निर्माण में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी सुनिश्चित कर सकेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड 19 से संबंधित टीकाकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए ताकि देश की बेशकीमती जिंदगियों की रक्षा की जा सके। चर्चा कीजिये।

03 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 रिपोर्ट : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS-5) की पांचवी रिपोर्ट का पहला भाग जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ देश में 2019-20 के बीच बच्चों में कुपोषण और मोटापा का स्तर तेजी से बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

परिचय

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की इस रिपोर्ट में देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जो देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसमें महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं, लेकिन इसमें देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है।
- चूंकि इससे पहले 2015-16 में जारी की गई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की चौथी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि देश में बच्चों में कुपोषण कम हुआ है, जबकि अब जारी की गई पांचवीं रिपोर्ट में इसके बढ़ने की बात कही गई है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- **पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण:** एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार देश में बच्चों (पांच वर्ष से कम आयु) का स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में है। बच्चों का कुपोषण चाइल्ड स्टंटिंग (शिशु वृद्धिरोध), चाइल्ड वेस्टिंग (शिशु निर्बलता), चिल्ड्रेन अंडरवेट और चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट (शिशु मृत्यु दर) पर मापा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी उम्र में सामान्य लंबाई से कम बच्चों की हिस्सेदारी 13 राज्यों में बढ़ी है जबकि अपनी लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी 12 राज्यों में बढ़ी है।
- **चाइल्ड स्टंटिंग:** इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है। आयु के हिसाब से कम लंबाई वाले बच्चे सबसे ज्यादा अभी मेघालय में हैं। मेघालय में ऐसे बच्चों की संख्या 46 फीसदी है जो वर्ष 2015-16 के दौरान 43 फीसदी थी। इसके बाद नंबर आता है बिहार का, हालांकि बिहार में पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति में सुधर आया है। बिहार में वर्ष 2015-16 में यह संख्या 48.3 फीसदी थी जो वर्ष 2019-20 में घटकर लगभग 43 फीसदी पर पहुंच गई है। गुजरात के 39 फीसदी बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम है जो वर्ष 2015-16 में 38.5 फीसदी थी तो वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 33.8 फीसदी पहुंच गया जबकि 2015-16 में हुए सर्वे में यह 32.5 फीसदी था।
- **चाइल्ड वेस्टिंग:** इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है। आयु के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों के मामले में भी बिहार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और पिछले सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से प्रदेश में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2015-16 में बिहार में 20.8 फीसदी बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम था तो वहीं वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 22.9 फीसदी पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में स्थिति जस की तस बनी हुई है।
- वहां पिछले सर्वे के दौरान भी 20.3 फीसदी बच्चों का वजन उम्र के अनुसार कम था। 2019-20 की रिपोर्ट में भी ऐसे बच्चों की संख्या 20.3 फीसदी ही है। वर्ष 2019-20 में तेलंगाना में ऐसे बच्चों की संख्या में सबसे ज्यादा 5.1% की बढ़ोतरी हुई है जबकि हिमाचल में 4.5 और केरल में 3.7% का इजाफा हुआ है। सर्वे के मुताबिक, बिहार, हिमाचल, असम, केरल, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे हिस्सों में पांच साल से कम उम्र के कमजोर बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की स्थिति पहले जैसे ही है।
- **बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या:** पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चों में खून की कमी की समस्या बढ़ी है। असम में सबसे ज्यादा 68% बच्चों को एनीमिया है, पिछले सर्वे यानी 2015-16 के तुलना में यह 33 फीसदी बढ़ा है। वहीं जम्मू-कश्मीर में 18.9 (72.7) प्रतिशत, गुजरात में 17.1 (79.7) प्रतिशत, महाराष्ट्र में 15.1 (68.9) प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 14.8 (69%) प्रतिशत का इजाफा हुआ।
- बच्चों की ही तरह देश के ज्यादातर बड़े राज्यों की महिलाओं (15 से 49 वर्ष) में खून की कमी की समस्या तेजी से बढ़ी है। असम में तो 2015-16 की अपेक्षा ऐसी महिलाओं की सख्या में लगभग 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुजरात में 10 फीसदी तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसी महिलाओं के संख्या पिछले पांच साल में बढ़ी है।
- **मोटापा में वृद्धि:** बच्चों (5 वर्ष से कम) और बड़ों में मोटापा की समस्या बढ़ती जा रही है। 20 राज्यों के बच्चों में मोटापा बढ़ा है। लद्दाख इस मामले में सबसे पहले पायदान है जहां करीब 13.4 फीसदी बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं। गोवा, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में मोटापे के शिकार पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या कम हुई है। पिछले सर्वे की तुलना में सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।
- **नवजात बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट:** NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार, NFHS-4 (2015-16) की तुलना में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवजात बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जन्मों पर मौत) में कमी आई है। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां शिशु मृत्यु दर और पांच से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई।

एनएफएचएस किन पहलुओं को उजागर करती है

- भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद 74 वर्षों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त नहीं किया जा सका है। कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता न होने के कारण नहीं है, बल्कि आहार क्रय करने की क्रयशक्ति कम होने के कारण है। गरीबी के कारण क्रय शक्ति कम होने एवं पौष्टिक आहार की कमी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। परिणामस्वरूप लोगों की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है, जिससे लोग निर्धनता एवं कुपोषण के चक्र में फंसने लगते हैं। एनीमिया, घेंघा और बच्चों की हड्डियों के कमजोर होने की समस्या से शिशु मृत्यु की दर बढ़ जाती है।
- स्वास्थ्य विषेषज्ञों का कहना है कि कुपोषण का एक बड़ा कारण आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग की महिलाओं का प्रसव से पहले तक मजदूरी पर जाते रहना और प्रसव के चंद दिनों बाद ही फिर काम पर लौट जाना है। पेट की आग बुझाने के लिए काम पर जाने की वजह से महिलाएं गर्भकाल के दौरान और प्रसव के बाद भी अपना व नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दे पाती हैं।
- जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने की स्थिति में नवजात को संक्रमण का खतरा छह फीसदी कम हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके हर साल 75 फीसदी महिलाएं बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर और 72 फीसदी छह महीनों तक स्तनपान नहीं कराती हैं। इसी तरह 44 फीसदी मामलों में महिलाएं बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए छह से नौ महीने तक की उम्र के बीच उनको पूरक आहार नहीं दे पातीं।

आगे की राह

- यद्यपि सरकार द्वारा पिछले दो दशकों में अल्प पोषण एवं कुपोषण पर काबू पाने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं, जैसे मिड-डे मील, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ई-पोषण व्यवस्था अभियान, समेकित बाल विकास सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा आदि। नि:संदेह ये सभी नीतियां बहुत अच्छी हैं, परंतु समस्या यह है कि उनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न सिर्फ आर्थिक विकास में रुकावट आती है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि भी मलिन होती है।
- पोषण की स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत एवं 2030 तक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए कुपोषित परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए भारत में पोषण के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलना होगा, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कुपोषण पर काबू पाने के लिए सरकारी योजनाओं को सख्ती से लागू करना और उनका फायदा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित करना जरूरी है। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी उच्चस्तरीय बनाना जरूरी है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. आजादी के 74 वर्षों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नही किया जा सका है? चर्चा कीजिये।

04 भारत में अदालत की अवमानना पर छिड़ती बहस

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के बारे में हास्य कलाकार कुणाल कामरा द्वारा किए गए ट्वीट हेतु सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

मामला क्या है?

- वर्ष 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अग्रिम जमानत को स्वीकार करते हुए कहा था कि राज्य सरकार को नागरिकों की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। अत: सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था।
- जब सुप्रीम कोर्ट में उक्त मामले की सुनवाई चल रही थी और 11 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कुणाल कामरा ने कई ट्वीट किए थे। कुणाल कामरा के ट्वीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गयी थीं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि कुणाल कामरा के ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के लिए आपमानजनक थे और उन्होंने शीर्ष अदालत की गरिमा को और कम किया है।
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कामरा के ट्वीट इतने 'खराब भावना' लिए हुए थे कि साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि वे शीर्ष अदालत के लिए अपमानजनक हैं। भारतीय नागरिकों में विधि द्वारा स्थापित अदालत के प्रति शीर्ष सम्मान है। देश में कानून का अनुपालन करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के ट्वीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह का ट्वीट कथित अवमानना करने वाले (कामरा) ने किया है।

अदालत की अवमानना या न्यायिक अवमानना

- अदालत की अवमानना या न्यायिक अवमानना (Contempt of Courts) की अवधारणा कई सदियों पुरानी है। इंग्लैंड में, यह एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो राजा की न्यायिक शक्ति की रक्षा करने का प्रयास करता है, शुरू में स्वयं द्वारा और बाद में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा राजा के नाम पर कार्यविधि होती थी।
- न्यायाधीशों के आदेशों का उल्लंघन स्वयं राजा के प्रति एक प्रकार का संदेह था तथा इंग्लैंड में एक धारणा है कि राजा कभी गलत नहीं होता। समय के साथ, न्यायाधीशों की किसी भी तरह की अवज्ञा, या उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा, या टिप्पणी और कार्य जो उनके प्रति अनादर दिखाते थे, उन्हें अवमानना के अंतर्गत दोषी माना गया।

अन्य देशों में न्यायिक अवमानना

- अन्य देशों में भी न्यायालय की अवमानना के क्षेत्राधिकार को कम किया गया है या इसे समाप्त कर दिया गया, यथा-
- ब्रिटेन में इसे 2013 में ही समाप्त कर दिया गया था।
- कनाडा में न्याय प्रशासन को वास्तविक, तत्काल और पर्याप्त खतरे के आधार पर ही अवमानना की कार्यवाही की जाती है।
- अमेरिका में न्यायालयों द्वारा न्यायाधीशों या कानूनी मामलों में टिप्पणियों के लिए अवमानना का उपयोग ही नहीं किया जाता है।

भारत में न्यायिक अवमानना

- भारत में अवमानना के कानून स्वतंत्रतापूर्व से ही विद्यमान हैं। शुरुआती उच्च न्यायालयों के अलावा, कुछ रियासतों की अदालतों में भी ऐसे कानून थे। जब संविधान को अपनाया गया था, उसमें प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युक्ति-युक्त निर्बंधन के रूप में न्यायिक अवमानना को स्थापित किया गया।
- भारत के संविधान में कई अनुच्छेद में न्यायिक अवमानना से संबन्धित प्रत्यक्ष एवं विवक्षित रूप से प्रावधान किए गए हैं। न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) अवमानना पर दण्डित करने के अधिकार को वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971)
- इस कानून के मुताबिक, न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा एवं उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऐक्ट, 1971' को पहली बार साल 2006 में संशोधित किया गया। इस संशोधन में दो बिंदु जोड़े गए ताकि जिसके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जा रहा हो तो 'सच्चाई' और 'नियत' भी ध्यान में रखा जाए।
- इस कानून में दो तरह के मामले आते हैं- फौजदारी और गैर फौजदारी अर्थात 'सिविल'

और 'क्रिमिनल' कंटेम्प्ट। 'सिविल कंटेम्प्ट' के तहत ऐसे मामले आते हैं जिसमे अदालत के किसी व्यवस्था, फैसले या निर्देश का उल्लंघन साफ नजर आता हो। वहीं 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट' के दायरे में ऐसे मामले आते हैं, जिनमें 'स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट' वाली बात आती हो। 'स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट' का मतलब आम लोगों के बीच कोर्ट की छवि खराब करना है।

न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था

- **अनुच्छेद 129:** संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित करता है। साथ ही यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 142:** संविधान के अनुच्छेद 142 के उपखंड 2 में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी व्यक्ति को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित और उस अवमान के लिए जांच कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन होगी।
- **अनुच्छेद 215:** संविधान का अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 (2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और मानहानि के साथ-साथ न्यायालय की अवमानना के आधार पर भी युक्ति-युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है।

न्यायालयों को अवमानना के शक्ति का औचित्य

- इसका उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखना है। न्यायालय की अवमानना की शक्ति न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है।
- चूंकि न्यायालय के आदेश सरकार या अन्य निजी पक्षों द्वारा लागू किए जाते हैं और यदि न्यायालय स्वयं के आदेशों को लागू करने में ही असमर्थ हो जाती है तो कानून के शासन का औचित्य ही खतरे में आ सकता है। इसलिए न्यायालयों की स्वतंत्र प्रकृति को बनाए रखने के लिए न्यायालय के पास अवमानना की शक्ति होना आवश्यक हो जाता है।

अवमानना के लिए सजा के प्रावधान

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। पहले की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 में न्यायालय की अवमानना के लिए 6 महीने के साधारण कारावास या 2000 रूपये तक का जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान हैं।
- इसके अलावा उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में न्यायालयों की अवमानना पर एक निर्णय में कहा था कि "सर्वोच्च न्यायालय के पास ना केवल स्वयं की अवमानना के लिए बल्कि उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अन्य न्यायाधिकरण की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त है"।

निष्कर्ष

- भारत में सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र बहुत विस्तृत है साथ ही अवमानना की परिभाषा भी बहुत व्यापक है। इसलिए न्यायाधीशों और न्यायपालिका के आचरण की वैध आलोचना को रोकने के लिए भी न्यायालय की निंदा करने जैसे शब्दों की बहुत ही शिथिल व्याख्या की जाती रही है।
- यह नागरिकों को मिलने वाली विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवमानना के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है लेकिन लोकतंत्र में किसी भी वैध आलोचना को नहीं रोका जाना चाहिए।
- प्रतिबंधों पर भी यथोचित युक्ति-युक्तता बनाए रखनी चाहिए, आलोचनाओं के प्रति न्यायालय कि यह अतिसक्रियता अभिव्यक्ति की आजादी के इस अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- सोशल मीडिया के समय में, जहां अनियमित टिप्पणियां देखी जाती हैं, इस प्रकार की सभी टिप्पणियों पर अदालत का ध्यान दिया जाना अदालत के कीमती समय को बर्बाद करने के बराबर है। इस प्रकार, आपराधिक अवमानना की व्यापक परिभाषा और न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर की जाने वाली कार्यवाही प्रेस की स्वतंत्रता के साथ-साथ न्यायालय की वैध आलोचना पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस पर विचार करते हुए भारत में अवमानना के क्षेत्राधिकार में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

प्र. भारत में न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये ।

05 भारत–बांग्लादेश संबंध : एक नये दौर में

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पिछले 55 वर्षों से बंद पड़ी हल्दीबाड़ी-चिल्हाटी रेल लाइन (Haldibadi-Chilhati Rail Line) का उद्घाटन किया। विदित हो कि पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल लाइन साल 1965 में बंद हो गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को 'पड़ोस प्रथम' नीति का प्रमुख स्तम्भ बताते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना उनकी विशेष प्राथमिकता रही है तथा कोविड-19 के कठिन समय में दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है वहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को अपने देश का 'सच्चा मित्र' करार देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति युद्ध में समर्थन देने के लिये भारत का आभार जताया।

परिचय

- 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। इस युद्ध और आजादी के पीछे जनसंहार और मानसिक-शारीरिक-आर्थिक यातनाओं की लंबी-चौड़ी पृष्ठभूमि रही। हालांकि भारतीय सेना के दखल के पहले ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। भारत ने इस नए देश के जन्म में सार्थक और सहयोगी भूमिका निभाई। आजादी की ये लड़ाई इतिहास में मुक्ति संग्राम के नाम से दर्ज है। चूंकि दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, भारत का अहम सहयोगी है, इसलिए जानकारों का मानना है कि दोनों देशों को अब उन मुद्दों पर आम सहमति बनानी चाहिए जिसमें अतीत में विवाद उत्पन्न हुए थे।
- बांग्लादेश से भारत का रिश्ता रणनीतिक सरोकारों से कहीं ऊपर है। बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष या आजादी के बाद भी भारत हमेशा बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान करने में आगे रहा है चाहे वह समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हो अथवा कोविड-19 जैसा स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल हो। स्वास्थ्य पर्यटन की भी द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी भूमिका है।

आर्थिक मोर्चे पर भारत-बांग्लादेश संबंध

- आर्थिक मोर्चे पर, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2013 में यह छह अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. वर्ष 2020 में इसके बढ़ कर 15 अरब डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान था किन्तु कोरोना महामारी की वजह से व्यापार में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई।
- भारत से बांग्लादेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 3.11 बिलियन डॉलर है। इसमें से रिलायंस की 642 मिलियन डॉलर की लागत से 745 मेगावाट गैस निकालने की परियोजना पर कार्य चल रहा है साथ ही अडानी की मिरसराय आर्थिक क्षेत्र (Mirsarai Economic Zone) में $400 मिलियन की भी परियोजना गति पर है। हालांकि भारत-बांग्लादेश संबंधों को रोल मॉडल कहे जाने के बावजूद, विडंबना यह है कि भारत की समेकित एफडीआई नीति 2017 में, बांग्लादेश को पाकिस्तान की ही श्रेणी में रखा गया है। एफडीआई नीति के पैरा 3.1.1 में कहा गया है, एक अनिवासी इकाई भारत में निवेश कर सकती है हालांकि, बांग्लादेश/ पाकिस्तान का नागरिक या बांग्लादेश/ पाकिस्तान में शामिल इकाई केवल सरकारी मार्ग के तहत ही निवेश कर सकती है।
- आज, भारत और बांग्लादेश बेहतर रूप से जुड़े हुए हैं और माल को जहाजों, ट्रकों, रेलवे और नदी मार्गों द्वारा ले जाया जाता है। हाल के समझौते से भारत मोंगला बंदरगाह तक अपना माल भेज सकता है।
- दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अध्ययन, प्रशिक्षण और हाइड्रोकार्बन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा लिंकेज को आगे बढ़ाएगा। दवाइयों या चिकित्सा उपकरण या फिर चिकित्सा पेशेवरों का एक साथ काम करने का विषय हो, इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहयोग अच्छा चल रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड 19 से जुड़े टीके के क्षेत्र में भी अच्छा सहयोग चल रहा है।

भारत बांग्लादेश सम्बन्धों में चुनौतियाँ

- **सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन:** भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096.7 किमी. लंबी है। मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर दोनों पक्षों (समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किये गए थे) ने ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए मिलकर उपाय करने तथा ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों के बारे में वास्तविक सूचनाएं और जानकारी साझा करने पर सहमति जताई हैं। किन्तु सीमा पार अवैध गतिविधियों और अपराधों से जुड़ी खबरें आए दिन सुनाई पड़तीं हैं। भारत-बांग्लादेश समन्वित सीमा प्रबंधन योजना की धारा 11 (11) में कहा गया है कि आतंकवादियों या तस्करों के खिलाफ आत्मरक्षा के अलावा घातक हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन नहीं किया जाएगा। फिर भी इस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में बांग्लादेश के 25 लोग बीएसएफ द्वारा मारे गए। ये सभी लोग अवैध तरीके से भारत में गाँजा सहित घुसने का प्रयास कर रहे थे।
- **जल बंटवारा:** दोनों देशों के बीच पानी एक और मुश्किल मुद्दा बना हुआ है। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों के जल को समझौते के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं जिसके लिए बाकायदा संयुक्त नदी आयोग भारत और बांग्लादेश की सरकार द्वारा बनाया गया है। फिर भी दोनों देशों के बीच तीस्ता जल विवाद तब और अधिक बढ़ जाता है जब कम बारिश होती है या ऐसे मौसमों में जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तीस्ता और उसकी सहायक नदियां हमेशा बारिश पर निर्भर रहती हैं, ऐसे में जब भी बरसात बंद होती है तो पानी की मात्रा में घट-बढ़ होती रहती है। मानसून के दिनों में अच्छी बारिश होने पर तीस्ता नदी में बाढ़ के हालात भी बन जाते हैं।
- **बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करने का चीन का खेल बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। इसके तहत चीन द्वारा बांग्लादेश के बाजारों में शुल्करहित चीनी सामान की सूची में नई चीजें शामिल करने और विकास परियोजनाओं के लिए मोटा कर्ज देने जैसे दाव आजमाये जा रहे हैं। बांग्लादेश, चीन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यात गंतव्य है। चीनी कंपनियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत को पछाड़ रही हैं, जिस कारण बांग्लादेश अपने दो सबसे बड़े पड़ोसियों के साथ चतुराई से संबंध बना रहा है।

आगे की राह

- भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध 'मील का पत्थर' हैं और यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने के 50वें वर्ष से भी जुड़ रहा है। भूमि सीमा कारोबार में दोनों देशों ने बाधाओं को कम किया साथ ही दोनों देशों के बीच सम्पर्क का विस्तार किया गया और नए साधनों को जोड़ा गया। यह सब दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के इरादों को दर्शाता है। निष्कर्षत: यदि भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाइयों (newer heights) पर ले जाना है, तो अनसुलझे मुद्दों से जल्द ही निपटना होगा।
- भारत और बांग्लादेश सभ्यताओं की एक समान विरासत साझा करते हैं। पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों के बीच एक समान मुद्दों से जुड़े कई ऐसे विषय है जिनपर विस्तार से चर्चा की संभावनाएं बनी रहनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंध अपने स्वर्णिम युग में है? दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों को भी रेखांकित करें ।

06 भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और फिलीपींस के संयुक्त आयोग की बैठक के माध्यम से दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री क्षेत्र में, खास तौर से सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा, क्षमता का निर्माण, नियमित रूप से आपसी दौरे और रक्षा उपकरणों की खरीद में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई है।

पृष्ठभूमि

- दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं और दूसरे देशों पर दबाव बनाने संबंधी कदमों को कई गुना बढ़ा दिया है। खास तौर से दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र, जहां ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस भी अपने दावे करते हैं, वहां पर चीन की आक्रामक गतिविधियां काफी बढ़ गयी हैं।
- दक्षिणी चीन सागर के एक बड़े क्षेत्र पर चीन का दावा और उसके आक्रामक रवैये व नियमों पर आधारित व्यवस्था को लेकर चीन के तिरस्कार भाव के चलते, इस क्षेत्र के अन्य दावेदारों के साथ चीन के वार्ता करने की संभावनाएं बेहद कम हो गई हैं।
- फिलीपींस इन्हीं देशों में से एक है, जो चीन के साथ अपने असंतुलित संबंध को सुधारने के बजाय इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करता आया है। हालांकि, जैसे-जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट की विदेश नीति के तहत भारत और फिलीपींस के बीच सामरिक संबंध गहरे हो रहे हैं, वैसे-वैसे फिलीपींस के पास ये आगामी अवसर होगा कि वो अपने आप को धीरे-धीरे चीन के बढ़ते प्रभाव के शिकंजे से आजाद कर सके।

फिलीपींस की दोहरी नीति

- पूर्वी एशिया में अमेरिका और चीन के बीच प्रभुत्व की बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच, फिलीपींस ने दोनों देशों के प्रति तटस्थता की नीति अपना रखी है।

- फिलीपींस की नीतियों को देखकर लगता है कि वो एक तरफ तो अमेरिका के साथ करीबी सुरक्षा संबंध बनाए हुए है, तो इसके साथ-साथ चीन के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाने की दुधारी तलवार पर चल रहा है।
- फिलीपींस को पता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव से उसके राष्ट्रीय और सामरिक हितों को गंभीर खतरा है। इस बात पर फिलीपींस की वर्ष 2017-2022 की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भी जोर दिया गया है। फिर भी फिलीपींस, खुलकर अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। इस दुविधा के कारण ही फिलीपींस के लिए अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित कर पाना मुश्किल हो रहा है।

भारत और फिलीपींस सहयोग

- दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर उम्मीद की एक किरण इस बात से जगी है कि फिलीपींस और भारत के बीच सामरिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत और फिलीपींस, दोनों ही देश द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी की अहमियत और जीवंतता को स्वीकार करते हैं।
- इसी संदर्भ में फिलीपींस की नौसेना के प्रमुख ने भारतीय नौसेना प्रमुख को भेजे एक खत में लिखा था कि, 'हमें ये उम्मीद है कि जैसे-जैसे हम अपने समुद्रों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के तरीके तलाश रहे हैं, वैसे-वैसे हम आपसी रिश्तों का दायरा बढ़ाने की उम्मीद भी रखते हैं।' इससे साफ पता चलता है कि आज फिलीपींस, भारत के साथ सामरिक एवं सुरक्षा के क्षेत्र में खुलकर सहयोग बढ़ाने का इच्छा रखता है।
- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति डुतेर्ते के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान, दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति को लेकर संतोष जताया. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर ये कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत, फिलीपींस को अपना 'महत्वपूर्ण साझीदार' मानता है।
- जहां तक आर्थिक स्तर की बात है तो दोनों ही देशों के बीच निवेश संधि पर वार्ता आगे बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच निवेश संधि के पहले दौर की वर्चुअल बातचीत नवंबर की शुरुआत में हुई थी।

नए शिखर पर द्विपक्षीय संबंध

- रक्षा, राजनीति और आर्थिक मामलों में फिलीपींस और भारत के आपसी संबंध आज नए शिखर को छू रहे हैं। इस साझेदारी का स्तर लगातार बढ़ाने से, फिलीपींस को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के कुप्रभावों से निपटने में मजबूत और सकारात्मक मदद मिल सकेगी।
- भारत ने जिस तरह चीन से निपटने की कोशिश की है, उससे फिलीपींस भी कई सबक सीख सकता है। इससे उसे अपने हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी, हालाँकि भारत को भी अपनी सीमा पर चीन की आक्रामक गतिविधियों का शिकार होना पड़ा है। भारत और फिलीपींस, दोनों ही देश चीन के भौगोलिक पड़ोसी हैं। इसके अलावा दोनों ही देश आर्थिक रूप से काफी हद तक चीन के ऊपर निर्भर हैं। हालांकि, भारत ने दिखा दिया है कि वो चीन के सामने डटकर खड़ा हो सकता है।
- साथ ही भारत ने दुनिया को यह भी दर्शाया है कि चीन के सामने डटकर खड़े होने का अर्थ व्यापक स्तर पर युद्ध छेड़ना या पूरी तरह से संबंध समाप्त करने का विकल्प आजमाना ही जरूरी नहीं है। भारत ने चीन के साथ संवाद के माध्यम खुले रखे हैं और दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंध बने हुए हैं, हालांकि, भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है और अपने कदमों से चीन को ये संदेश भी दिया है कि वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सामरिक हितों से कोई भी समझौता नहीं करेगा।
- भारत और फिलीपींस, दोनों ही नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हैं।
- द्विपक्षीय संबंधों का ये पहलू बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों ही देशों के लंबी अवधि के हित काफी मिलते हैं। फिलीपींस और भारत के बीच बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी से दोनों ही देशों को एक ऐसा मंच मिलेगा, जिससे वो न केवल अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सकेंगे, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियमों पर आधारित व्यवस्था की सुरक्षा भी कर पाएंगे।

भारत- फिलीपींस सम्बन्धों की महत्ता

- फिलीपींस में भारतीय समुदाय दशकों से दोनों देशों के बीच दोस्ती का मजबूत बंधन बना हुआ है। प्रवासी भारतीयों का आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। प्रवासी भारती फिलीपींस की अर्थव्यवस्था और समाज में तथा फिलीपींस में भारत और भारतीयों की छवि के लिए योगदान दे रहे हैं।
- फिलीपींस में योग बहुत लोकप्रिय है और आयुर्वेद भी जोर पकड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत-फिलीपींस संबंध दोनों देशों के साझा मूल्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को लेकर प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सहस्राब्दी पूर्व स्थापित सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को लेकर दोनों देश गौरवान्वित महसूस करते हैं ।
- फिलीपींस में उन पुरानी कलाकृतियों का पता लगाया गया है जो अत्यधिक भारतीय प्रभाव वाली हैं। फिलीपींस में खोजी गई सबसे पुरानी कलाकृति, लागुना कॉपर प्लेट शिलालेख, जिस कवी लिपि में लिखी गयी है, वह संभवत: पल्लव लिपि से व्युत्पन्न है। अगुसन में देवी तारा की एक स्वर्ण प्रतिमा भी मिली है। स्पष्ट रूप से, ये प्रमाणित करते हैं कि फिलीपींस के साथ भारत के संबंध नए नहीं हैं।

निष्कर्ष

- निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि चीन और उसके प्रभाव में नेपाल के साथ सीमा विवाद, चीन और आसियान देशों के साथ बढ़ा व्यापारिक घाटा, दक्षिण चीन सागर में चीन की अवैध गतिविधियां, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के मार्ग में कोरोना महामारी का रोड़ा, विश्व के कई देशों के नए नेतृत्व से अर्थपूर्ण सामंजस्य बिठाना, पड़ोसी राष्ट्रों में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति, खाड़ी देशों प्रवासी भारतीय श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता आदि ऐसी कई चुनौतियाँ भारत के सामने हैं परन्तु इनसे बेहतर रणनीति से निपटने हुए भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ना होगा।
- ध्यातव्य है कि अगले वर्ष दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे और वैश्विक परिदृश्य में इससे सहयोग और सुदृढ़ होगा। दोनों देश 2021-23 संयुक्त दृष्टिकोण पत्र लागू करेंगे जो कि द्विपक्षीय संबंधों की कार्य योजना प्रस्तुत करेगा जिससे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम रखने के लिये भारत-फिलीपींस की साझेदारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का लक्ष्य 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है। एकस नए भारत के निर्माण में जिसमें नवाचार, निवेश, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र शामिल हैं,में फिलीपींस के समर्थन और मदद की जरूरत है।
- भारत-फिलीपींस व्यापार लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है। हालांकि, इन दोनों तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से, हमारे द्विपक्षीय व्यापार की गति अभी भी नरम ही है और इस क्षेत्र में अनेक संभावनाओं तक पहुंचना अब भी बाकी है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी चीन के क्षेत्रीय विस्तार को रोकने में किस प्रकार कारगर होगी? चर्चा करें।

07 ब्रेक्जिट के बाद भारत के लिए ब्रिटेन का महत्व

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से आगामी जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा बनने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जो कि अगले वर्ष 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में होनी है। इसमें चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जायेगा। इस सम्मेलन में भारत साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ गेस्ट नेशन्स के तौर पर शामिल होगा।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया।

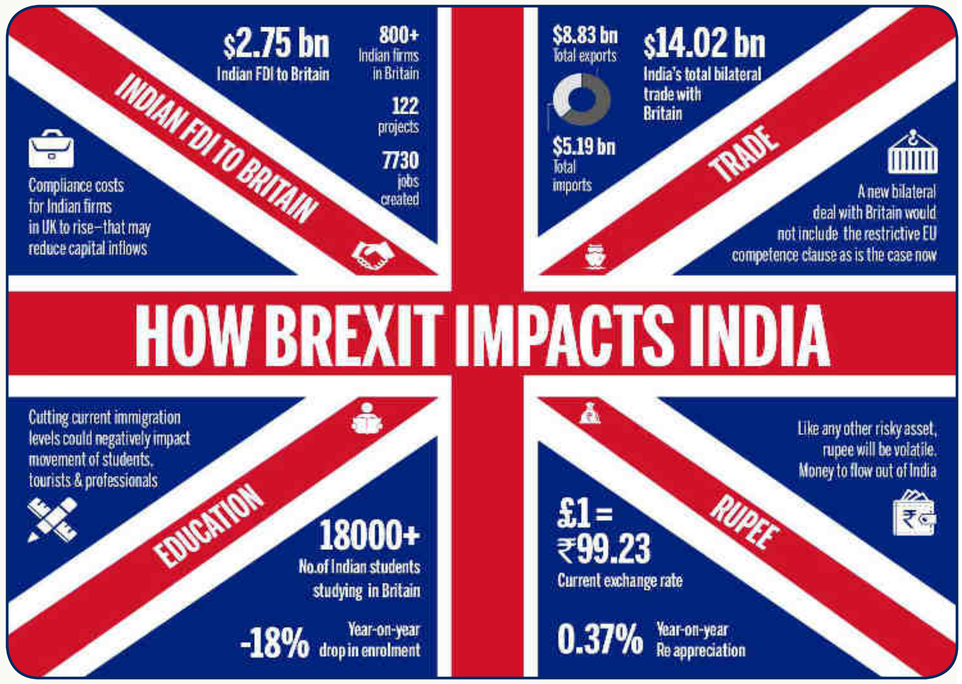

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि बोरिस जॉनसन से पहले साल 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि बने थे और अब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, जो गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। पीएम का पद संभालने के बाद से ये भारत में उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।
- इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश संबंध को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ काम करने की कोशिश करना हैं, क्योंकि जनवरी में यूरोपियन यूनियन से हटने के बाद अर्थात ब्रेक्जिट के बाद, जॉनसन 'ग्लोबल ब्रिटेन' के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाहते थे और ये यात्रा उनके लिए इस प्रमोशन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

ब्रिटेन की भावी रणनीति में भारत की खास जगह

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने के भारत के न्यौते को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।
- यूरोपीय संघ से अलग हो रहे ब्रिटेन के लिए भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने का यह बड़ा मौका है। भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है बल्कि निवेश के स्तर पर भी यह एक बड़ा मौका देता है। रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्ट्नरशिप, आरसीईपी से आखिरी मौके पर सामरिक और आर्थिक दोनों कारणों से दूर हुए भारत के लिए भी ब्रिटेन एक अच्छा व्यापारिक सहयोगी बन सकता है।
- भारत का बोरिस जॉनसन को बुलाना दोनों ही देशों को संबंधों में सुधार लाने का मौका है, वरना 1993 के बाद पहली बार किसी ब्रिटिश नेता को गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाने की और क्या वजह हो सकती है।

क्या है ब्रेक्जिट?

- ब्रेक्जिट मुख्यत: दो शब्दों Britain और Exit से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ब्रिटेन का यूरोपीयन यूनियन से बाहर निकलना। साल 2016 में इसके लिये ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इस जनमत संग्रह में जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आजादी और संस्कृति को बनाए रखने के मकसद से यूरोपीयन यूनियन से बाहर निकलने का फैसला लिया।

ब्रेक्जिट समझौते में क्या है समस्या?

- ध्यातव्य है कि जनमत संग्रह के इस फैसले को लागू करने के लिए बकायदा यूरोपीय संघ (निकासी) कानून बनाया गया। इस नये कानून के आने के बाद यूरोपीय समुदाय अधिनियम 1972 निरस्त हो गया है। दरअसल यूरोपीय समुदाय अधिनियम 1972 के जरिए ही ब्रिटेन यूरोपीयन यूनियन का सदस्य बना था।
- ब्रेक्जिट प्रक्रिया की अगली कड़ी के रूप में 29 मार्च, 2017 को ब्रिटेन सरकार ने लिस्बन संधि का अनुच्छेद-50 लागू कर दिया। जिसके तहत ठीक दो साल बाद ब्रेक्जिट लागू होना था। अब कैसे अलग होना है यह जिम्मेदारी ब्रिटेन के नेताओं पर आ गई। इसके लिए ब्रिटेन के नेताओं ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे के अगुवाई में एक मसौदा तैयार किया और उसको लेकर यूरोपीय संघ से बातचीत की और फिर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया।
- प्रक्रिया को लागू होने के लिए इसके मसौदे को हाउस ऑफ कॉमंस में पारित होना जरूरी था। लेकिन ये प्रस्ताव अब तक तीन बार ब्रिटिश संसद में पेश किया जा चुका है और हर बार खारिज हो गया। क्योंकि कभी सॉफ्ट

ब्रेक्जिट तो कभी हार्ड ब्रेक्जिट, कभी डील तो कभी नोडील, ब्रेक्जिट ने एक अजब सी असमंजस और निराशा की स्थिति पैदा कर दी है।

- वैसे खास तौर पर इसका शिकार ब्रिटेन ही हुआ है जो यूरोपीय संघ से बाहर निकल तो रहा है लेकिन कैसे, यह किसी को पता नहीं है। आए दिन हो रही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की बैठकों से फिलहाल तो यही लगता है कि आखिरकार यह मामला कड़वाहट के साथ ही खत्म होगा।
- साथ ही यूरोपीय संघ ब्रिटेन के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, ब्रिटेन की राजनीति, खास तौर से विदेश नीति पर इसका असर साफ दिखा है।
- हालाँकि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच 31 दिसंबर की समयसीमा की समाप्ति से कुछ दिन पहले ब्रेक्जिट-बाद मुक्त व्यापार करार (Post-Brexit Trade Deal) हो गया है। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट और ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है।

ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील क्या है?

- जैसे-जैसे ब्रेक्जिट की समय-सीमा नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ब्रिटेन के नेताओं पर मसौदे को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रेक्जिट से कोई क्षणिक और तत्काल बदलाव नहीं होगा बल्कि इसमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके लिए संक्रमण काल लागू किया गया है जो कि 31 दिसंबर 2020 तक होगा। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते के लिये तैयार मसौदे को ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है।

मसौदे से सम्बंधित विवादित मुद्दे

- ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन दो गुटों में बंटा हुआ दिखाई देता है। खींचतान सिर्फ इस बात पर नहीं हो रही है कि डील ब्रिटेन के लिये अच्छी या है बुरी, बल्कि कुछ लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ब्रेक्जिट हो ही ना। ब्रेक्जिट के विरोधी एक नए जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं जिसमें एक बार फिर लोगों से पूछा जाए कि क्या वे वास्तव में यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं?
- डील में उत्तरी आयरलैंड के बॉर्डर के मुद्दे पर एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है जिसकी सीमा यूरोपीय संघ के सदस्य देश आयरलैंड से मिलती हैं। कुछ वजहों के चलते ब्रेक्जिट के बाद आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच सख्त बॉर्डर कायम करने के हक में न तो ब्रिटेन है और न ही यूरोपीय संघ।
- इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय संघ के कुछ कानून मानने होंगे जो कि डील के विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ब्रेक्जिट के बाद भी उत्तरी आयरलैंड में नियम-कानून बाकी ब्रिटेन से अलग हों।
- इसके अलावा इसमें सबसे अहम् बात ये है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होने पर 50 अरब डॉलर की बकाया रकम चुकानी होगी। डील के विरोधी इसे अलग होने की कीमत बता रहे हैं।

ब्रेक्जिट का भारत पर प्रभाव

- मौजूदा समय में ब्रिटेन में करीब 800 भारतीय कंपनियाँ हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। भारतीय आईटी कंपनियों की 6 से 18 फीसद कमाई ब्रिटेन से होती है। भारत में कुल एफडीआई का 8 फीसद हिस्सा UK से आता है। इसका असर भारत के कारोबार पर कम पड़ेगा लेकिन ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे। साथ ही यूरोप के देशों से भी भारत को नए करार करने होंगे। इस प्रक्रिया में तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक दिक्कतें आ सकती हैं।
- भारतीय कंपनियों की ब्रिटेन में रुचि की एक बड़ी वजह यह है कि ब्रिटेन के रास्ते भारतीय कंपनियों की यूरोप के बाकी 27 देशों के बाजार तक सीधी पहुँच हो जाती है। यानी भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन एक गेटवे की तरह है। जाहिर है जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलेगा तो इस बड़े बाजार तक आसान पहुँच बंद हो जाएगी। UK ने हमेशा EU में भारत की तरफदारी की है और भारत का साथ दिया है, विशेष रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में काम कर रहीं भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार तक पहुँचने के नए रास्ते निकालने होंगे।
- इतना ही नहीं ब्रिटेन में बने उत्पादों पर भारतीय कंपनियों को यूरोपीय देशों में टैक्स भी देना होगा। इस कारण भी कंपनियों के खर्च में इजाफा होगा।
- मॉरिशस और सिंगापुर के बाद ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। अगर ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसके निवेश में भी कमी आ सकती है।
- पौंड के कमजोर होने से डॉलर मजबूत बनेगा। ऐसी परिस्थिति में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है।

निष्कर्ष

- हालाँकि ब्रेक्जिट के कारण यूके और यूरोपीय संघ दोनों ही घाटे में जा सकते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के विकल्पों की जरूरत होगी। ऐसे में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत तकनीक, साइबर सुरक्षा, रक्षा और वित्त में बड़ा भागीदार बन सकता है। निवेश के लिहाज से भी भारत की भूमिका अहम होगी।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रेक्जिट के कारण होने वाला कोई भी नुकसान सिर्फ शार्ट-टर्म के लिए ही होगा, लॉन्ग-टर्म में भारत को कोई नुकसान नहीं होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. ब्रेक्जिट के बाद भारत और यूरोप के बीच आर्थिक व सामरिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 राष्ट्रीय लोक अदालत

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के तत्वावधान में वर्ष 2020 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 दिसम्बर, 2020 को वर्चुअल और वास्तविक उपस्थिति मोड में आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम विवाद, धन वसूली, भूमि अधिग्रहण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई।

3. लोक अदालत

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA) द्वारा आयोजित लोक अदालत विवादों का निपटान करने का एक वैकल्पिक तरीका है।
- यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद/मुकदमें या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों (Taluk Courts) तक सभी न्यायालयों में मुकदमों (प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन दोनों) के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें एक दिन आयोजित की जाती हैं।
- विवादों के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों के लिए इस एडीआर फोरम (ADR forum) को सुलभ बनाने में इस कोविड-19 महामारी द्वारा पेश की गई चुनौतियों को दूर करने के लिए, विधिक सेवाएं प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) द्वारा वर्ष 2020 में वर्चुअल लोक अदालत यानी ई-लोक अदालत शुरू की गई।

4. ई-लोक अदालत

- ऑनलाइन लोक अदालत या ई-लोक अदालत न्यायिक सेवा संस्थानों का एक नवाचार है, जिसमें अधिकतम लाभ के लिए टैक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।
- यह लोक अदालत का ही एक वर्चुअल प्रारूप है जो लोगों को घर बैठे ही न्याय प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- ई-लोक अदालतों के संचालन में खर्च कम होते हैं, क्योंकि इसमें परम्परागत रूप से संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्त हो जाती है।

5. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

- वर्ष 1987 में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया ताकि समाज के कमजोर तबकों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्राप्त हो सके, जिससे यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो।
- यह कानून नि:शुल्क विधिक सहायता को मूर्तरूप देता है। यह कानून वैसे व्यक्ति जो निर्धनता या जाति, पंथ या लिंग संबंधी संवेदनशीलता के कारण कोई मामला दर्ज करने या मामले का बचाव करने के लिए एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं हैं, को कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि न्यायालय में उन्हें भी वकील की सेवा मिल सके।
- यह अधिनियम विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित करता है, जिसके प्रकार निम्नलिखित हैं-
  - केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) है। राष्ट्रीय प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन करता है।
  - राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SALSA) है। राज्य प्राधिकरण राज्य के उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा प्रत्येक तालुक के लिए तालुक विधिक सेवा समिति गठित करता है।
  - जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा समिति होती है।

02 मानव विकास सूचकांक

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी सालाना मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 में 189 देशों के मानव विकास सूचकांक (HDI) की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था।

2. प्रमुख बिन्दु

- वर्ष 2020 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (per-capita carbon emissions) और उसके मैटेरियल फुटप्रिंट (material footprint) के कारण होने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मीट्रिक की शुरुआत की है, जो वस्तुओं को बनाने के लिए और सेवाओं का उपभोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन, धातुओं और अन्य संसाधनों की मात्रा को मापता है।
- यूएनडीपी के मुताबिक अगर इस नई मीट्रिक (new metric) को शामिल करते हुए भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 8 पायदान ऊपर पहुँच जाएगा।
- इस नई मीट्रिक (new metric) को सकता है। प्लैनेटरी प्रेशर-एड्जस्टेड एचडीआई या पीएचडीआई (Planetary Pressures-adjusted HDI, or PHDI) नाम दिया गया है।
- वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की रिपोर्ट में भारत की एचडीआई वैल्यू 0.645 है।
- इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी।

3. अन्य देशों की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में नॉर्वे सबसे ऊपर रहा और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान है।
- वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत के पड़ोसी देश भूटान 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 133वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा है।

4. मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI)

- मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) द्वारा जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में अभी तक विभिन्न देशों की स्थिति निम्नलिखित तीन प्रमुख बुनियादी आयामों पर आकलित की जाती थी-
  - जीवन प्रत्याशा
  - ज्ञान तक पहुँच
  - प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
  - उल्लेखनीय है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा किया गया था। इस अवधारणा का बाद में नब्बे के दशक में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया।
  - तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) ने इस अवधारणा को अपनाया तथा पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया।

5. सूचकांक में चेतावनी

- मानव विकास सूचकांक में तर्क दिया गया है कि कोविड-19 महामारी दुनिया के सामने नवीनतम संकट है।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि से खतरे के दायरे में आने वाले अधिकांश लोग विकासशील देशों और विशेष रूप से एशिया और प्रशान्त में रहते हैं। पर्यावरणीय संकट पहले से ही दुनियाभर में विस्थापन का एक मुख्य कारण हैं, ऐसे में अनुमान यह है कि वर्ष 2050 तक दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग विस्थापन का सामना कर सकते हैं।

6. समाधान

- मानव विकास सूचकांक न केवल प्रगति दर्शाता है, बल्कि उन क्षेत्रों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिन पर अधिक ध्यान देने और जिन्हें अधिक संसाधन व हिमायत की जरूरत है।
- जलवायु परिवर्तन स्पष्ट रूप से हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभर रहा है, और इस वर्ष का मानव विकास सूचकांक इसी बात पर केन्द्रित है कि मानव विकास जलवायु संकट से कैसे जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मानव विकास के अगले मोर्चे में, सामाजिक विकास, मूल्यों और वित्तीय प्रोत्साहनों में आवश्यक बदलाव लाते हुए, प्रकृति के खिलाफ न जाकर, प्रकृति के साथ मित्रवत काम करने की आवश्यकता होगी।

03 भारत का प्रथम कार्यस्थल समानता सूचकांक

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केशव सूरी फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कार्यस्थल समानता सूचकांक जारी किया गया है। भारत में यह सूचकांक धारा 377 निरस्त होने के दो साल बाद लॉन्च किया गया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- केशव सूरी फाउंडेशन ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में India Workplace Equality Index (IWEI) को लॉन्च करने के लिए स्टोनवेल यूके, प्राइड सर्कल और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ मिलकर कार्य किया है।
- इसकी पहली रिपोर्ट में 65 कंपनियों के विविधता और समावेश डाटा को शामिल किया गया है। इस सूचकांक ने कंपनियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: स्वर्ण श्रेणी, रजत श्रेणी और कांस्य श्रेणी।

3. सूचकांक के मुख्य बिन्दु

- कार्यस्थलों में एलजीबीटी और उससे संबंधित समुदाय (LGBT and related communities) के लोगों के साथ भेदभाव का अंत करने के लिए भारत में एक समता सूचकांक की शुरुआत हुई है। सूचकांक के पहले साल में समता की तरफ कदम बढ़ाने वाली 52 कंपनियों को पुरस्कार दिए गए हैं।
- इस सूचकांक में दो भारतीय कंपनियों गोदरेज समूह और हिंदुस्तान यूनिलीवर को एलजीबीटी+ लोगों के लिए सबसे अच्छे एम्प्लॉयर के खिताब से नवाजा गया गौरतलब है कि 19 और कंपनियों ने स्वर्ण पुरस्कार जीते, लेकिन वे सब माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर जैसी विदेशी कंपनियां हैं।
- इन्हें पुरस्कार जेंडर न्यूट्रल बाथरूम और समलैंगिक पार्टनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी एलजीबीटी+ समावेशी नीतियां लागू करने के लिए दिए गए हैं। जीतने वाली कंपनियों में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी है।
- पुरस्कार जीतने वाली 52 कंपनियों के इस सूचकांक में 67 प्रतिशत कंपनियां अंतरराष्ट्रीय हैं, 17 प्रतिशत भारतीय हैं और बाकियों ने अनाम रहना चुना है। टाटा स्टील समेत चार कंपनियों को रजत पुरस्कार दिया गया है।
- पितृत्व अवकाश को 'नवजात अभिभावक अवकाश' नाम दे कर उसे समलैंगिक, ट्रांस और अकेले पुरुष अभिभावकों के लिए लागू करने के लिए टाटा स्टील की सराहना की गई।
- सूचकांक को ब्रिटिश एलजीबीटी+एडवोकेसी समूह स्टोनवॉल, भारत के केशव सूरी फाउंडेशन और एलजीबीटी+ समावेशी कंसल्टेंसी कंपनी प्राइड सर्किल ने मिल कर शुरू किया है।
- रिसर्च से पता चला है कि एलजीबीटी प्लस लोगों के लिए बराबरी को प्रोत्साहित करने वाली कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती, उन्हें कंपनी के साथ बनाए रखना, उपभोक्ताओं के बीच कंपनी की छवि, उत्पादकता और लाभदायिकता सब बेहतर होती हैं।

4. सूचकांक का महत्व

- यह सूचकांक उन नियोक्ताओं की पहचान करने में मदद करेगा जो LGBT$ को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सूचकांक उन नियोक्ताओं की भी पहचान करता है, जिन्होंने अपने संगठनों में एलजीबीटी + के अधिकारों को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है।
- यह सूचकांक आगे उन कंपनियों को मान्यता देता है, जिन्होंने अपनी नीतियों, भर्ती प्रथाओं, आंतरिक और बाहरी संचार में LGBT & Related Communities को शामिल किया है। यह नीतियों और लाभों, कर्मचारी नेटवर्क, कर्मचारी जीवनचक्र, वरिष्ठ नेतृत्व, खरीद, निगरानी, सामुदायिक जुड़ाव और अन्य अतिरिक्त कार्यों के संबंध में संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करेगा।

5. धारा 377

- आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया और कहा गया कि जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

6. LGBTQ समुदाय

- समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में एलजीबीटी (LGBT) यानी लेस्बियन (LESBIAN), या गे (GAY), या बाईसेक्सुअल (BISEXUAL) और ट्रांसजेंडर कहते हैं। वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे क्विर (Queer) समुदाय का नाम दिया गया है। इसलिए इसे LGBTQ भी कहा जाता है।

04 प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेसः एक नजर

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने देश भर के सभी प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक भी शामिल होंगे।

2. पृष्ठभूमि

- विदित हो कि अपने मूल निवास स्थान से दूर परन्तु आंतरिक (देश के भीतर) अथवा अंतर्राष्ट्रीय (विभिन्न देशों में) सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। अब तक भारत में प्रवासन से संबंधित आँकड़ों के लिये वर्ष 2011 की जनगणना का प्रयोग किया जाता है।
- जनगणना के आँकड़ों की मानें तो भारत में वर्ष 2011 में कुल 45.6 करोड़ (कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत) प्रवासी थे, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह संख्या 31.5 करोड़ (कुल जनसंख्या का 31 प्रतिशत) थी।
- प्रवासन एक वैश्विक घटना है, जो न केवल आर्थिक कारकों से, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है।
- वर्ष 2011 तक उत्तर प्रदेश और बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासियों के सबसे बड़ा स्रोत थे, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली प्रवासियों के सबसे बड़े अभिग्राही (Receiver) राज्य थे।

3. डेटा की आवश्यकता क्यों?

- अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम-1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है, साथ ही प्रवासी श्रमिकों को काम देने वाले ठेकेदारों के लिये भी लाइसेंस लेना आवश्यक है।
- यदि इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाये तो इसके माध्यम से अलग-अलग राज्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकता है। परन्तु इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन न होने के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कोई भी विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

4. श्रमिकों की आजीविका के लिये सरकार के हालिया प्रयास

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल श्रमिकों को आजीविका के अवसर खोजने में सहायता प्रदान करने के लिये 'असीम पोर्टल' लॉन्च किया है।
- असीम पोर्टल का पूरा नाम आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण है। भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों, जिन्होंने 'कौशल कार्ड' में पंजीकरण कराया है, के डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए रोजगार की तलाश कर रहे लोगों और नियोक्ताओं के लिये 'महाजॉब्स' नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है।
- आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान,उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है। यह योजना स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों के साथ साझेदारी कर 1.25 करोड़ ऐसे प्रवासी कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर देती है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण रोजगार खो दिया है।
- राज्य सरकार ने पहले ही श्रमिकों के कौशल के मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया है, ताकि उनकी विशेषज्ञता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 'प्रवासन आयोग' के गठन को मंजूरी दी है, जिसे मुख्यत: प्रवासी श्रमिकों के कौशल का मानचित्रण और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

5. निष्कर्ष

- हालाँकि इस डेटाबेस को लेकर हो रही संपूर्ण वार्ता अंतर्राज्यीय प्रवासन पर ही केंद्रित है, जबकि आतंरिक-राज्य प्रवासन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में प्रवासियों के दोनों समूहों को शामिल करने के लिये डेटाबेस के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- कोरोना वायरस जैसी महामारी को ध्यान में रखकर प्रवासी श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का एक विस्तृत डेटाबेस बनाना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

05 भारत, अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर देशों की निगरानी सूची में शामिल

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने स्विटजरलैंड और वियतनाम को करेंसी के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश बताया है और उन्हे 'करेंसी मैनिपुलेटर' की सूची में रखा है। इसके साथ ही भारत, ताइवान और थाइलैंड को भी निगरानी सूची में रखा गया है।

2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि अमेरिकी का ट्रेजरी विभाग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीति की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर करेंसी मैनिपुलेटर्स देशों की पहचान करता है। इसी आधार पर यूएस ट्रेजरी विभाग ने स्विट्जरलैण्ड और वियतनाम द्वारा डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी का अवमूल्यन करने की आशंका के चलते, दोनों देशों को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में रखा है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने वियतनाम पर 'अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ' लेने का आरोप लगाया है।
- अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाइलैंड और मलेशिया शामिल हैं।
- ट्रेजरी विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2020 से पहले की चार तिमाहियों में अमेरिका के चार प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों-भारत, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर ने लगातार अपने विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में दखल दिया है।

3. क्या होता है करेंसी मैनिपुलेटर?

- अमेरिकी के ट्रेजरी विभाग द्वारा उन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया जाता है, जो अनुचित मुद्रा प्रथाओं को अपनाकर डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं।
- कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करने की ऐसी अनुचित प्रथाओं का उपयोग दूसरे देश की तुलना में लाभ प्राप्त करने के लिए करता है।
- मुद्रा का अवमूल्यन उस देश से निर्यात की लागत को कम करता है जिसके परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से व्यापार घाटे में कमी होने लगती है।

4. करेंसी मैनिपुलेटर देशों की पहचान के मापदंड

- कोई भी अर्थव्यवस्था जो 2015 के व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन मानदंडों में से दो को पूरा करता है उसे अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की इस निगरानी सूची में रखा जाता है-
  - उस देश का अमेरिका के साथ पिछले 12 माह के दौरान द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष कम से कम 20 अरब डॉलर का रहा हो,
  - पिछले 12 माह के दौरान उस देश की जीडीपी का 2 फीसदी से ज्यादा चालू खाता अधिशेष रहा हो,
  - 12 महीने की अवधि में उस देश की जीडीपी का 2 फीसदी से ज्यादा विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद हो।

5. भारत को निगरानी सूची में रखने का कारण

- भारत का कई वर्षो से लगातार अमेरिका के साथ द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष को बना हुआ है, जो अब $20 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर चुका है। जून 2020 के पहले की चार तिमाहियों में द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष $22 बिलियन था।
- महामारी की शुरुआत के दौरान विदेशी मुद्रा की बिक्री के बाद, भारत ने 2020 की पहली छमाही के दौरान शुद्ध खरीद को बनाए रखा।
- जून के पहले की चार तिमाही के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद +64 बिलियन रही, जोकि जीडीपी का 2.4% से भी अधिक है। इस प्रकार भारत अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के निर्धारित तीन मापदंडो में से 2 को पूरा करता है।

6. क्या होता है अवमूल्यन

- अवमूल्यन का तात्पर्य अन्य मुद्राओं के संबंध में किसी एक मुद्रा के मूल्य में कमी करने से होता है। उदाहरण के लिए यदि डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया तो आपको डॉलर खरीदने के लिए अत्यधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
- किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने से मुख्यत: 3 लाभ होते हैं-
  - इससे आयात महंगे हो जाते हैं और इससे विदेशी वस्तुओं का आयात हतोत्साहित होता है जिससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता है।
  - इससे किसी देश के निर्यात अन्य देशों में सस्ते हो जाते हैं क्योंकि विदेशी आयातकों को अब पहले की तुलना में कम भुगतान करना होता है। इससे किसी देश के निर्यात की मांग बढ़ती है जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
  - किसी भी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के अवमूल्यन से उसका भुगतान संतुलन अनुकूल होता है।

06 विजन 2035

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग ने विजन 2035: भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी' नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है।

2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि यह 'विजन 2035: भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी' स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किये जा रहे कार्य की ही अगली कड़ी है। कोविड-19 महामारी ने हमें वह अवसर प्रदान किया है, जिसमें मानव-पशु-पर्यावरण के बीच बढ़ते सम्पर्क के चलते बीमारियों के उभरने पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इस सम्पर्क की शीघ्र पहचान संक्रमण के फैलाव की शृंखला को तोड़ने के लिए और एक लचीली निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है, यह विजन दस्तावेज इसी दिशा में एक कदम है।
- यह व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को परीक्षण का आधार बनाकर यह सुझाव देती है कि परीक्षण या निगरानी किस तरह से की जानी चाहिए।
- जन स्वास्थ्य निगरानी वह महत्वपूर्ण कार्य है जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराता है।
- यह विजन नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य व्यावस्था की परिकल्पना करता है, जिसमें सभी स्तरों पर सभी हितधारकों को चाहे वह एक व्यक्ति हो, समुदाय हो, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं या प्रयोगशालाएं हों, व्यक्ति की निजता हो या गोपनीयता हो को, शामिल किया गया है।

3. मुख्य अवधारणा

- विदित हो कि इस श्वेत पत्र में त्रिस्तरीय जन स्वास्थ्य व्यवस्था को आयुष्मान भारत की परिकल्पना में शामिल करते हुए जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत के विजन 2035 को पेश किया गया है।
- इसी संदर्भ में यह एक विस्तारित रेफरल नेटवर्क और प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी बताता है। इस परिकल्पना का मुख्य अंग केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है, जिसके तहत नए विश्लेषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आंकड़ा विज्ञान का इस्तेंमाल करके नया आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाना है, जिसमें कार्रवाई के लिए सूचना का प्रसार करने के नये तरीके शामिल हों।

4. विजन 2035 का उद्देश्य

- विजन 2035 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्य उन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना।
- नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, तथा ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगी।
- केन्द्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाएगी।
- ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होती है, के प्रबंधन के लिए भारत क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का लक्ष्य रखेगा।

5. निष्कर्ष

- निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि इस श्वेत पत्र का उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी को प्रोत्साहित करना और भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित करना है।

07 संसद का शीतकालीन सत्र रद्द

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार ने इस बार संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया। सरकार का मानना है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच संसद का शीतकालीन सत्र बुलाना सहीं नहीं होगा।
- लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सामने भी ऐसा ही अनुरोध किया गया था।

5. इससे पहले कब-कब नहीं बुलाया गया सत्र?

- साल 2008 में यूपीए सरकार ने औपचारिक शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया था बल्कि मॉनसून सत्र को कुछ दिनों के लिए दिसंबर महीने में कर दिया था।
- साल 1975 में इमरजेंसी के चलते और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के चलते शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा 1979 में भी शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था।

2. पृष्ठभूमि

- संविधान का नियम और संसदीय परंपरा है कि एक सत्र बुलाने के छह माह के भीतर दूसरा संसद सत्र आयोजित हो जाना चाहिए।
- गौरतलब है कि पिछला मानसून सत्र 14 सितंबर को शुरू हुआ था, जो निर्धारित तिथि से दस दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया था।
- अब केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र को अगले साल जनवरी में होने जा रहे बजट सत्र के साथ संयुक्त कर दिया है।
- इस लिहाज से वह छह माह वाली परंपरा का पालन तो कर लेगी, परन्तु बजट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र के दौरान देश के जरूरी और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष के पास कितनी समच बचेगी, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं।

3. संसद सत्र क्या है?

- संसद के सदस्यों द्वारा जनता के मुद्दों पर बहस करने और नए प्रस्ताव पर अपना मतदान करके अधिनियम का रूप देने और पुराने अधिनियम में संशोधन करने के लिए जिस अवधि का निर्धारण किया जाता है, इसे एक संसद सत्र कहा जाता है।
- इस अवधि में संसद की सभी प्रकार की कार्यवाही का संचालन होता है और प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

4. संसद के कितने सत्र होते हैं?

- सामान्यत: एक वित्त वर्ष में संसद के तीन सत्र का आयोजन होता है, प्रत्येक सत्र के बीच छः माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती है, इसका निर्धारण संविधान में पहले से ही किया गया है, यह सत्र इस प्रकार है-
- **बजट सत्र**
  - संसद में बजट सत्र का आयोजन फरवरी महीने से मई महीने के बीच किया जाता है, इस सत्र में भारत सरकार देश का बजट पेश करती है जिसमें नयी योजनाओं, टैक्स में छूट, सरकार की सफलताओं और आयात और निर्यात के बारे में देश को जानकारी दी जाती है, यह सबसे लम्बा चलने वाला सत्र है।
  - साल 2019 में बजट सत्र 31 जनवरी और 2018 में 28 जनवरी से शुरू हुआ था।
- **मानसून सत्र**
  - मानसून सत्र यह जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है, इसकी तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति की तरफ से केंद्र सरकार करती है। इसमें सामान्य विधायी काम होते हैं। ज्यादातर लोकहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती हैं।
  - इस बार का मानसूत्र सत्र 1 अक्टूबर से 1 हफ्ते पहले खत्म कर दिया गया था। उस दौरान 40 संसद और करीब 400 सचिवालय कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गये थे, कार्यवाही सीमित रखने के लिए प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया था जिस पर विवाद भी हुआ।
- **शीतकालीन सत्र**
  - इस सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर के बीच किया जाता है, दूसरे सत्र में अगर कोई मुद्दा छूट रहा हो या उस पर चर्चा अधूरी रह गई हो तो इस सत्र में उसे पूरा किया जा सकता है।
- **विशेष सत्र**
  - संविधान में विशेष सत्र बुलाने की भी व्यवस्था है। जब संसद में कोई सत्र न चल रहा हो। और किसी खास बिल पर जरूरी चर्चा करनी हो, डेडलॉक की स्थिति हो, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 राष्ट्रीय लोक अदालत

प्र. लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत, विवादों का निपटान करने का एक वैकल्पिक तरीका है।
2. लोक अदालतों द्वारा दिया गए निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत, विवादों का निपटान करने का एक वैकल्पिक तरीका है। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद/मुकदमे या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे निर्णयों के बीच किसी भी अदालत के कानून के समक्ष अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार कथन 1 सही है, अतः उत्तर (a) है।

02 मानव विकास सूचकांक

प्र. मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) द्वारा जारी किया जाता है।
2. वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 189 देशों में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी) द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 189 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएनडीपी ने वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके मैटेरियल फुटप्रिंट के कारण होने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मीट्रिक की शुरुआत की है। इस प्रकार कथन 1 सही है, अतः उत्तर (a) होगा।

03 भारत का प्रथम कार्यस्थल समानता सूचकांक

प्र. भारत के प्रथम कार्यस्थल समानता सूचकांक -2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसकी पहली रिपोर्ट में 65 कंपनियों के विविधता और समावेश डाटा को शामिल किया गया है।
2. सूचकांक के पहले साल में इस बराबरी की तरफ कदम बढ़ाने वाली 52 कंपनियों को पुरस्कार दिए गए हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में केशव सूरी फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कार्यस्थल समानता सूचकांक जारी किया गया है। भारत में यह सूचकांक धारा 377 निरस्त होने के दो साल बाद लॉन्च किया गया है। यह ब्रिटेन के स्टोनवेल WEI से प्रेरित है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

04 प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस: एक नजर

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है।
2. प्रवासन एक वैश्विक घटना है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई अन्य कारकों से प्रभावित होती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2 दोनों
(c) केवल 1 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या : कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने श्रमिकों के लिए 'असीम पोर्टल' लॉन्च किया है एवं महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को देखते हुए श्रमिकों के लिए 'महाजॉब्स' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों सही है, अत: उत्तर (b) होगा।

05 भारत अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर सूची में शामिल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मुद्रा के अवमूल्यन से किसी भी देश का भुगतान संतुलन अनुकूल होता है।
2. अमेरिका का ट्रेजरी विभाग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीति की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर करेंसी मैनिपुलेटर्स देशों की पहचान करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनेमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: कोई भी देश अनुचित मुद्रा प्रथाओं को अपनाकर डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते है, उसे करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है। करेंसी मैनिपुलेटर की सूची अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी की जाती है। इस संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अत: उत्तर (c) होगा।

06 विजन 2035

प्र. नीति आयोग के विजन 2035 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह विजन नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य की परिकल्पना करता है।
2. विजन 2035 के तहत किसानों की आय दोगुनी की जाएगी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनेमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या : विजन 2035 के तहत जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करना है एवं केन्द्र तथा राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाया जाएगा। इस संदर्भ में कथन 1 सही है, अत: उत्तर (b) होगा।

07 संसद का शीतकालीन सत्र रद्द

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान के अनुसार संसद के प्रत्येक सत्र के बीच छ: माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती है।
2. 1979 में और 1984 में शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनेमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: सामान्यत: एक वित्त वर्ष में संसद के तीन सत्र का आयोजन होता है यथा- बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र 1975, 1979, 1984 और 2008 में नहीं बुलाया गया था। इस संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों सही, अत: उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM) का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

क्या है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल?

- भारतीय सेना (Indian Army) के लिए बनाई गई इस MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) मिसाइल को भारत के DRDO और इजरायल के IAI ने मिलकर बनाया है।
- MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन राडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। यह इजरायल की खतरनाक मिसाइल बराक-8 (Barak-8) पर आधारित है।
- MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) का वजन करीब 275 किलोग्राम, लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम वॉरहेड यानी हथियार लोड किया जा सकता है।
- यह दो स्टेज की मिसाइल है, जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलो युद्ध सामाग्री अपने साथ ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। यह काफी आसानी से लक्षय को निशाना बना सकता है।

क्या है MRSAM प्रोग्राम?

- MRSAM प्रोग्राम की शुरुआत फरवरी 2009 में हुई जब इससे जुड़ी एक डील को इजराइल के साथ साइन किया गया। इस डील के तहत 450 ऐसी मिसाइलें खरीदी जाएंगी और दो बिलियन डॉलर की लागत से 18 फायरिंग यूनिट्स स्थापित की जाएगी। बाराक मिसाइलें बराक मिसाइलों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी-शिप मिसाइलों और यूएवी को तो ध्वस्त कर ही सकती हैं साथ ही बराक में बैलेस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को भी नष्ट करने की क्षमता है। इन मिसाइलों का समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है और जमीन से भी इनकी लॉन्चिंग संभव है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

- 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) स्थापना की गई। इसकी स्थापना उस समय देश में मौजूद रक्षा संगठनों के विलय से हुआ था। जिनमें भारतीय थल सेना के टेक्निकल डिवेलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डिवेलपमेंट ऐंड प्रॉडक्शन का डिफेंस साइंस ऑर्गनाइजेशन (डीएसओ) प्रमुख थे। देश भर में इसकी 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। इन प्रयोगशालाओं में रक्षा संबंधित तकनीक को विकसित करने पर काम होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है।
- यहां विभिन्न अनुसंधान कार्यों को अंजाम दिया जाता है। वैमानिकी, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक गाड़ियों, इंजिनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, अडवांस्ड कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, इन्फर्मेशन सिस्टम और कृषि पर यहां अनुसंधान कार्य होता है।

इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (IAI) के बारे में

- आईएआई इजरायल की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। यह मिसाइल भेदी, हवाई प्रणालियों और खुफिया और साइबर सुरक्षा प्रणालियों सहित रक्षा प्रणालियों का विकास, विनिर्माण और आपूर्ति करती है।

02 शिगेला संक्रमण

चर्चा में क्यों?

- केरल के कोझीकोड जिले में शिगेला संक्रमण के कम से कम छह प्रमाणित मामले और 20 अन्य संदिग्ध मामले सामने आए हैं, पीड़ितों में मे ज्यादातर बच्चे हैं।

क्या है शिगेला संक्रमण?

- शिगेला संक्रमण (Shigella infection) को शिगेलोसिस (shigellosis) भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का आंतों का संक्रमण है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।
- **लक्षणः** शिगेला संक्रमण का मुख्य लक्षण दस्त (diarrhea) है, जो अक्सर खूनी होता है। शिगेलोसिस भारत में दस्त के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति बुखार और पेट दर्द होता है।
- **संक्रमण का फैलावः** शिगेला बैक्टीरिया बहुत संक्रामक होता है। शिगेला से संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने या गलती से उसे मल के कुछ अंश को निगल जाने से लोग शिगेला से संक्रमित हो जाते हैं। शिगेला बैक्टीरिया संक्रमित भोजन ग्रहण करने या

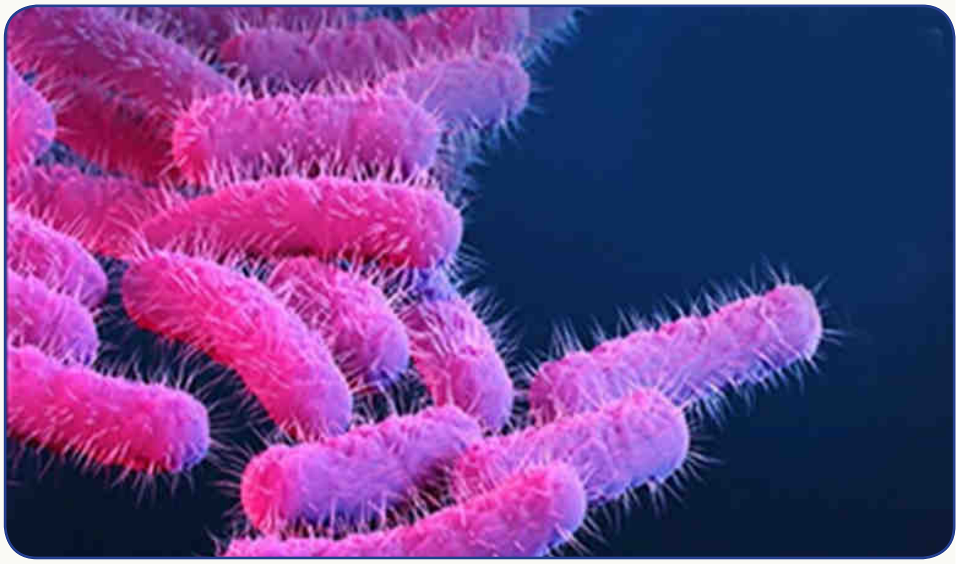

अस्वच्छ पानी पीने या उसमें तैरने से भी फैल सकता है।
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिगेला संक्रमण होने की सबसे अधिक संभावना होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है।

क्या है शिगेला संक्रमण का उपचार?

- **उपचारः** यदि संक्रमण हल्का है तो आमतौर स्वच्छता बनाए रखने से एक सप्ताह के भीतर रोगी अपने आप सही हो जाता है। लेकिन यदि संक्रामण अधिक हो जाता है तो उपचार की आवश्यकता होती है। इसके लिए डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं।
- शोधकर्ता शिगेला संक्रमण से बचने के प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

03 भारतीय अर्थव्यवस्था का कोविड-प्रेरित मंदी से बाहर आने के संकेत

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांश पूर्वानुमानों की तुलना में तीव्र गति से पटरी पर लौट रही है। भारत की आर्थिक गतिविधियां अब गति पकड़ रही हैं अर्थात पूर्व-कोविड स्तरों पर वापस आने का प्रयास कर रही हैं।
- दिसंबर के लिए केंद्रीय बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार अंतिम बुलेटिन के बाद से अधिक साक्ष्य सामने आए हैं जो यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड -प्रेरित मंदी से बाहर आ रही है।

क्या है विभिन्न एजेंसियों के पूर्वानुमान?

- NCAER का अनुमान - एनसीईआर ने अपनी मध्य-वर्ष की समीक्षा में चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2121) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। डेलॉयट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करेगी। इससे पहले, एनसीईआर ने पूरे वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 12.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया था।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'एसएंडपी'- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के वृद्धि अनुमान को ऋणात्मक 9 फीसदी से बढ़ाकर ऋणात्मक 7.7 फीसदी किया। रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और कोविड-19 संक्रमण दर में कमी के चलते अपने अनुमान को संशोधित किया है।
- नीति आयोग का दावा- ज्ञातव्य है कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत यानी मार्च 2022 तक देश की आर्थिक वृद्धि दर कोविड-19 (कोरोना वायरस) महामारी से पहले के स्तर पर ही पहुंच जाने की संभावना जताई है।
- आरबीआई- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी चालू वित्त वर्ष (2020-21) के संशोधित पूर्वानुमान में आर्थिक वृद्धि दर के माइनस 7.5 फीसदी रहने की संभावना जाहिर की है, जबकि पहले इसके पहले माइनस 9.5 फीसदी रहने का पूर्वानुमान जताया गया था।
- इक्रा (ICRA) रेटिंग्स- घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) रेटिंग्स का अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में खत्म

हो जाएगी। इक्रा ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया है।

- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और मूडीज:** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और मूडीज समेत दिग्गज रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने संकेत दिये हैं। इन एजेंसियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में गिरावट 7.5 फीसदी रही। जबकि इसमें 10 फीसदी गिरावट की आशंका जताई गई थी।

अर्थव्यवस्था में सुधार के निहितार्थ

- वर्तमान में वैश्विक जीडीपी 85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर है। 2050 में वैश्विक जीडीपी 170 से 180 ट्रिलियन डॉलर होगी और भारतीय जीडीपी-तब तक लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद

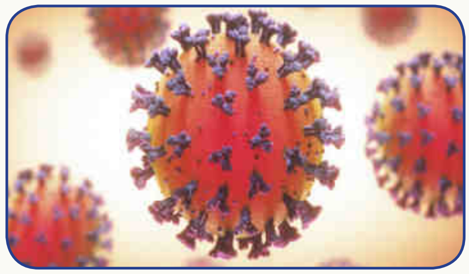

है "दुनिया के हर तीन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं में से एक भारतीय होगा और भारत सबसे बड़ा वैश्विक मध्यवर्ग बनाएगा। इससे विश्व के देशों का भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

- अर्थव्यवस्था में सुधार से भारत में हर वैश्विक कंपनी का लक्ष्य निवेश होगा। विनिर्माण से लेकर एमएसएमई तक, कृषि से लेकर तकनीक तक, चारों ओर सुधार हुए हैं और दुनिया में कॉरपोरेट टैक्स भारत में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी है। चाहे वह खनन, रक्षा या अंतरिक्ष के नए अवसर हों और जब एक सेक्टर बढ़ता है तो एक जीवंत अर्थव्यवस्था में दूसरों को भी प्रभावित करता है, इससे रोजगार में वृद्धि होगी, भारत के शाख में वृद्धि होगी तथा एफडीआई अंतरप्रवाह में बढ़ोतरी होगी।
- इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सऊदी अरब को लिया जा सकता है सऊदी अरब ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत में निवेश की उसकी योजनाएं अपनी राह पर बनी हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े खनिज तेल निर्यातक देश का यह भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस संक्रमण के दुष्प्रभाओं से निकल कर आगे बढ़ने की पूरी ताकत और क्षमता मौजूद है।
- सरकार को अपनी दीर्घकालीन योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी जो महामारी की वजह से रुकी हुई हैं। इससे नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

04 यूरोपीय संघ द्वारा गरीब देशों को प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यूरोपीय संघ ने अल्प विकसित देशों में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि यूरोपीय संघ अल्प विकसित देशो में निर्यात होने वाले प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाएगा।
- इसके लिए यूरोपीय संघ, 2006 अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन अधिनियम में संशोधन करेगा जिसके द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अलावा अल्प विकसित देशों में प्लास्टिक निर्यात प्रतिबंधित होंगे।
- ये नए नियम 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के भीतर आगामी 1 जनवरी से लागु होंगें ये और 1989 के बेसल कन्वेंशन के अनुकूल होंगे।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2018 में चीन ने प्लास्टिक आयात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद प्लास्टिक व्यापार एशिया के कुछ गरीब देशो में स्थानांतरित हो गया था लेकिन इन देशों में पर्याप्त रीसाइक्लिंग और डम्पिंग सुविधा का विकास नहीं हो सका। यूरोपीय संघ के निर्यात ने पर्यावरणविदों के अनुसार अधिकांश कचरा महासागरों में डम्प किया जाता है या खुली आग में जला दिया जाता है।
- पिछले साल यूरोपीय संघ ने 1.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का निर्यात किया है, इनमें ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की को निर्यात किया गया था।
- लिथुआनिया के पूर्व वित्त मंत्री सिनकेविसियस के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों के अंदर भी यूरोपीय संघ के खतरनाक प्लास्टिक कचरे को रीसाइक्लिंग करना कठिन है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों को प्लास्टिक निर्यात करने से पूर्व प्राप्तकर्ता और प्रेषणकर्ता दोनों देशों को इसके लिए प्राधिकार पत्र लिए जाना चाहिए। इसके साथ ही गैर-आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों (Non-OECD) को बहुत सख्त रीसाइक्लिंग शर्तों के साथ हानिरहित अपशिष्ट निर्यात किया जाना चाहिए।
- यूरोपीय संघ द्वारा प्लास्टिक निर्यात से संबन्धित नियम 1 जनवरी, 2021 से लागू होंगे जो यूरोपीय संघ के भीतर प्लास्टिक शिपमेंट को नियंत्रित करेंगे।

क्या है बेसल कन्वेंशन 1989?

- घातक पदार्थों के सीमापार आवागमन तथा निष्पादन से संबंधित बेसल संधि को 22 मार्च 1989 को प्लैनीपोटैशियरीस सम्मेलन (बेसल, स्विट्जरलैंड) में स्वीकृत किया गया था।
- बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को घातक अपशिष्टों के बुरे प्रभावों से सुरक्षित करना था।
- इस सम्मेलन कि शर्तें निम्नलिखित हैं-
  - घातक अपशिष्टों के उत्पादन को कम करना तथा घातक अपशिष्टों का पर्यावरण मैत्री तरीकों से निष्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चाहे निष्पादन का स्थान कोई भी हो।
  - घातक अपशिष्टों के सीमापार निष्पादन को प्रतिबंधित करना, केवल उन विषयों

को छोड़कर जिनमें यह निष्पादन पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तरीके से किया जाए।

- एक ऐसा कार्यशील तंत्र बनाया जाए जिससे उन समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके जहां सीमा पार आवागमन की आवश्यकता हो।

यूरोपीय संघ (European Union) के बारे में

- यूरोपियन संघ मुख्यत: यूरोपीय देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के सभी राष्ट्रो पर लागू होती है।
- वर्तमान में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने के बाद इसके 27 सदस्य देश हैं।
- यूरोपियन संघ ने यूरोपीय देशों के राजनितिक व आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे यह संगठन विश्व की लगभग 22% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपियन यूनियन की अपनी संसद, आयोग, मंत्रिपरिषद, न्यायालय तथा केंद्रीय बैंक हैं।

- यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है जिसे संघ के 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है जबकि अन्य 8 यूरोपीय संघ के सदस्य (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization of Economic Cooperation and Development-OECD), एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाने का कार्य करती है। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु इस संगठन की स्थापना के लिए 1960 में कन्वेंशन को अपनाया गया।
- आधिकारिक रूप से 30 सितम्बर, 1961 में कन्वेंशन के प्रवर्तन में आने पर OECD की स्थापना हुई।
- वर्तमान में इस संगठन के 37 सदस्य हैं एवं इसका मुख्यालय पेरिस-फ्रांस में स्थित है। 37वां सदस्य कोलम्बिया है जो अप्रैल, 2020 को ओईसीडी का सदस्य देश बना।
- ओईसीडी में अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रवासियों को आकर्षित करती हैं, चाहे यह काम के लिए हो, पढ़ाई या यहां तक कि शरण के लिए भी हो सकता है।
- ओईसीडी का प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को बढ़ावा देना है।
- ओईसीडी का भारत सदस्य नहीं है।

05 हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना

चर्चा में क्यों?

- विश्व बैंक और भारत सरकार ने सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $ 500 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौता किया।

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना से संबन्धित जानकारी

- इस हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा।
- यह परियोजना सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की क्षमता को बढ़ाएगी।
- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर लंबे एकीकृत, सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिजाइनों से राजमार्गों का निर्माण किया जायेगा।

- इस परियोजना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्गों के निर्माण में स्थानीय और सीमांत सामग्री, औद्योगिक उप-उत्पादों और अन्य बायोइन्जिनियरिंग समाधानों का उपयोग करेगा।
- भारत सरकार अपनी अवसंरचना परियोजनाओं में पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना सुरक्षित यातायात योग्य सड़कों के निर्माण में नए मानक स्थापित करेगी। यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में ग्रीन हाउस गैसों (GHG) उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इस ग्रीन कॉरीडोर के अंतर्गत चयनित खंड कनेक्टिविटी को बेहतर

बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

विश्व बैंक के बारे में

- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 1944 में हुए ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के तहत वर्ष 1945 में की गयी थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. में स्थित है।
- इस संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निमाण करना था।
- यह सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करने और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन करने का प्रयास करता है।
- वर्तमान में विश्व बैंक के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाए शामिल हैं:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (1945);
  - इंटरनेशनल फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन (1956);
  - इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (1960);
  - इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (1966);
  - मल्टीलैटेरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (1988)

06 संसदीय समिति के द्वारा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम' की सिफारिश

चर्चा में क्यों?

- राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महामारी के समय निजी अस्पतालों पर जाँच और नियंत्रण रखने और दवाओं के अवैध विपणन पर अंकुश लगाने के लिए उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के साथ एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम होना चाहिए।
- संसदीय समिति द्वारा महामारी अधिनियम, 1897 के प्रावधानों में संशोधन समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता का सुझाव दिया गया।

क्यों है व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की आवश्यकता?

- कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले है कि निजी अस्पतालों में COVID-19 रोगियों के लिए आरक्षित बेड को अत्यधिक महगी दरों में उपलब्ध करवाया गया है।
- इसे देखते हुए गृह मामलों की स्थायी समिति व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम ने अनुशंसा की है। समिति का मानना है कि निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अधिमानित व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम होना चाहिए।
- समिति ने अनुसंशा की है कि, इस अधिनियम में दवाओं और उत्पाद मानकीकरण की कालाबाजारी पर रोक लगाई जानी चाहिए। समिति ने अपने निष्कर्षो में यह तथ्य पाया है कि इस महामारी के दौरान कुछ दवाओं के मामले में भ्रम फैलाया गया कि वे COVID-19 संक्रमण को रोकने में मदद करती थीं और फिर उन्हें उच्च दरों पर बेचा गया।
- समिति का सुझाव है कि लोगों में घबराहट और उनको महंगी दवाओं पर भारी मात्रा में धन खर्च करने से रोकने के लिए सस्ती और प्रभावी दवाओं के संबंध में जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से सरकार को सक्रियता दिखानी चाहिए।

संसदीय समिति की अन्य प्रमुख सिफारिशें

- समिति ने पाया कि महामारी के प्रारंभिक चरण में, कोविड-19 संक्रमण वाले रोगियों को चिकित्सा बीमा नहीं दिया गया था, उन्हें निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के दौरान अत्यधिक भुगतान करना पड़ा, जिसमें उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा।
- समिति ने कहा है कि सरकार को ऐसे प्रावधान बनाने की जरूरत है, जो बीमा दावों को अस्वीकार करने से रोकने के लिए देश में काम कर रहे सभी अस्पतालों पर विनियामक निगरानी के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करते हों।
- इसके अलावा समिति नें बीमा कवरेज वाले सभी लोगों के लिए COVID-19 उपचार को कैशलेस बनाने की अनुशंसा भी की है।

- साथ ही समिति ने महामारी के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा किए कार्यों की सराहना करते हुए सिफारिश की है कि भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों के प्रबंधन के लिए NDMA में एक विशेषीकृत प्रकोष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता है। यह प्रकोष्ठ सरकार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र, कॉर्पोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की साझेदारी में आपदाओं के प्रबंधन के दौरान अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
- महामारी के समय, सामाजिक कलंक और अलगाव और क्वारंटीन के डर से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने, पीड़ितों के प्रति सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने आदि के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।
- समिति के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने जहां अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, वहीं कई योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया गया है। कई योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। किसानों, गैर-कॉरपोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- लॉकडाउन के कारण रोजगार की कमी और आय में गिरावट के कारण खपत में भारी कमी आई है। 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23% का संकुचन हुआ, इसे सही करने में कुछ समय लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक मोर्चे पर सुधार के लिए सरकार द्वारा और अधिक हस्तक्षेप किए जाने के साथ और योजनाओं की आवश्यकता है, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए।

07 भारत में तेंदुओं की स्थिति-2018 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा 'भारत में तेंदुओं की स्थिति-2018' (Status of Leopard in India-2018) रिपोर्ट को जारी किया गया है।

भारत में तेंदुओं की स्थिति

- भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट-2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है। जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे।
- 2014 से 2018 की इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।
- गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए, दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पाए गए हैं।
- जिस तरह से भारत में तेंदुओं की निगरानी की गई है, उसका फायदा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हुआ है और उसी वजह से तेंदुए जैसी प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी करना आसान हुआ है।
- तेंदुए शिकार से संरक्षित वन क्षेत्रों के साथ-साथ बहु उपयोग वाले जंगलों में भी पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रेंज सहित कुल 12,852 तेंदुए की मौजूदगी का भी आकलन किया है।

- तेंदुओं की संख्या की गणना न केवल टाइगर रेंज में की गई बल्कि गैर वन वाले क्षेत्र जैसे कॉफी, चाय के बागान और दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में भी की गई है, जहां पर तेंदुए पाए जाने की संभावना होती है।
- ज्ञातव्य है कि गणना में हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों को शामिल नहीं करने की प्रमुख वजह यह है कि इन क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या बेहद कम होने के आसार हैं।
- तेंदुओं की गणना का कार्य भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया है।

तेंदुआ (Leopard) के बारे में

- बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में तेंदुआ आकार में सबसे छोटा होता है और कई प्रकार के निवास स्थान में अनुकूलन करने की अपनी विशेष क्षमता के लिए जाना जाता है।
- प्राकृतिक और भौगोलिक कारकों से तेंदुओं की उप-प्रजातियों में कुछ हद तक भिन्नता हो सकती है लेकिन उनके असाधारण सुंदर काले-धब्बेदार निशान, छुपने की क्षमता, इत्यादि विशेषता सभी तेंदुए में समान होती है।

- वर्तमान में तेंदुए की नौ उप-प्रजातियों को मान्यता दी गई है जो कि अफ्रीका और एशिया में पाए जाते है।
- मेलेनिज्म तेंदुओं में होने वाली एक सामान्य घटना है, जिसमें पूरे त्वचा का रंग काला हो जाता है एवं जिसमें उसके धब्बे भी शामिल होते हैं। एक मेलेनिस्टिक तेंदुए को अक्सर ब्लैक पैंथर या जगुआर कहा जाता है और उसे गलती से एक अलग प्रजाति माना जाता है।
- भारत में तेंदुआ सभी प्रकार के वनों में (उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर समशीतोष्ण पर्णपाती और अल्पाइन शंकुधारी वनों तक) पाया जाता है। एकमात्र अपवाद रेगिस्तान और सुंदरबन के मैंग्रोव को छोड़कर ये सूखी झाड़ियों और घास के मैदानों में भी पाए जाते हैं। यह 17 राज्यों में पाए जाने वाले बाघ के साथ अपना क्षेत्र साझा करते है। इसके साथ ही ये पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में हिमालय और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के निचले भाग में भी पाए जाते है।
- भारत में तेंदुआ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है और CITES के परिशिष्ट I में शामिल है। इसके अलावा यह IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध है।

भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर वर्ष 2006 में बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
- 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का प्रमुख काम प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन करना है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

03

05

07

01 विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के विभिन्न प्रावधानों तथा उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करें।

02 किसान आंदोलन का लम्बे समय तक चलना सरकार की हठधर्मिता का फल है या फिर किसानों की उपेक्षा? उदाहरण सहित उल्लेख करें।

03 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत जनसंख्या स्थिरता की तरफ बढ़ा है। यह भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक शुभ संकेत है। टिप्पणी करें।

04 भारत, अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर देशों की निगरानी सूची में शामिल हो गया है। यह भारत के सुदृढ़ होते विदेशी नीति को परिलक्षित करता है। चर्चा करें।

05 अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तिब्बती नीति का समर्थन चीन के हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी नीति को रोकने का एक विकल्प माना जा रहा है। इससे आप कितना सहमत हैं? उल्लेख करें।

06 भारत और स्वीडन के मध्य विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में होने वाले समझौतों पर प्रकाश डालें।

07 ईमानदारी बिना नैतिकता के एक अधूरा ख्वाब है। चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01 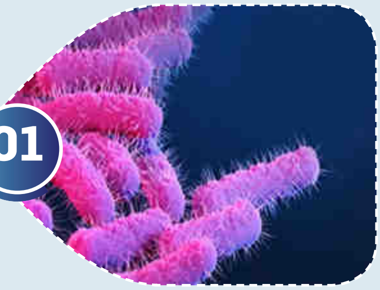

03

05

01 हाल ही में, केरल में शिगेला संक्रमण (Shigella Infection) के कई मामले दर्ज किए गए हैं। शिगेला संक्रमण का मुख्य कारण क्या है?

जीवाणु

02 किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को 'लीजेन ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया है?

अमेरिका

03 किसे भारत के 42वें रामसर साइट के रूप में चुना गया है?

त्सो कार वेटलैण्ड

04 भारत की प्रथम लीथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है?

गुजरात

05 हाल ही में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया?

हैदराबाद

06 हिमालयन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिमालयन ट्रिलियम (ट्रिलियम गोवैनियम), नामक औषधीय पौधे को आईसीयूएन (IUCN) द्वारा किस श्रेणी में रखा गया है?

संकटग्रस्त

07 'स्टेट्स ऑफ तेंदुए' रिपोर्ट के अनुसार, किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या दर्ज की गयी है?

मध्य प्रदेश

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04
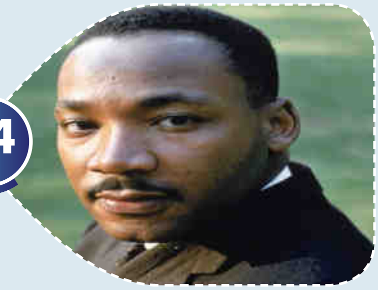

06

01 अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

02 उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

03 शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है। यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है।

महात्मा गांधी

04 कहीं भी अन्याय का होना प्रत्येक स्थान पर न्याय के लिए खतरा है।

मार्टिन लूथर किंग

05 जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो।

स्वामी विवेकानंद

06 प्रेमी, पागल, और कवि एक ही चीज से बने होते हैं।

भगत सिंह

07 अच्छे चरित्र निर्माण करना ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए।

सुभाष चन्द्र बोस

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

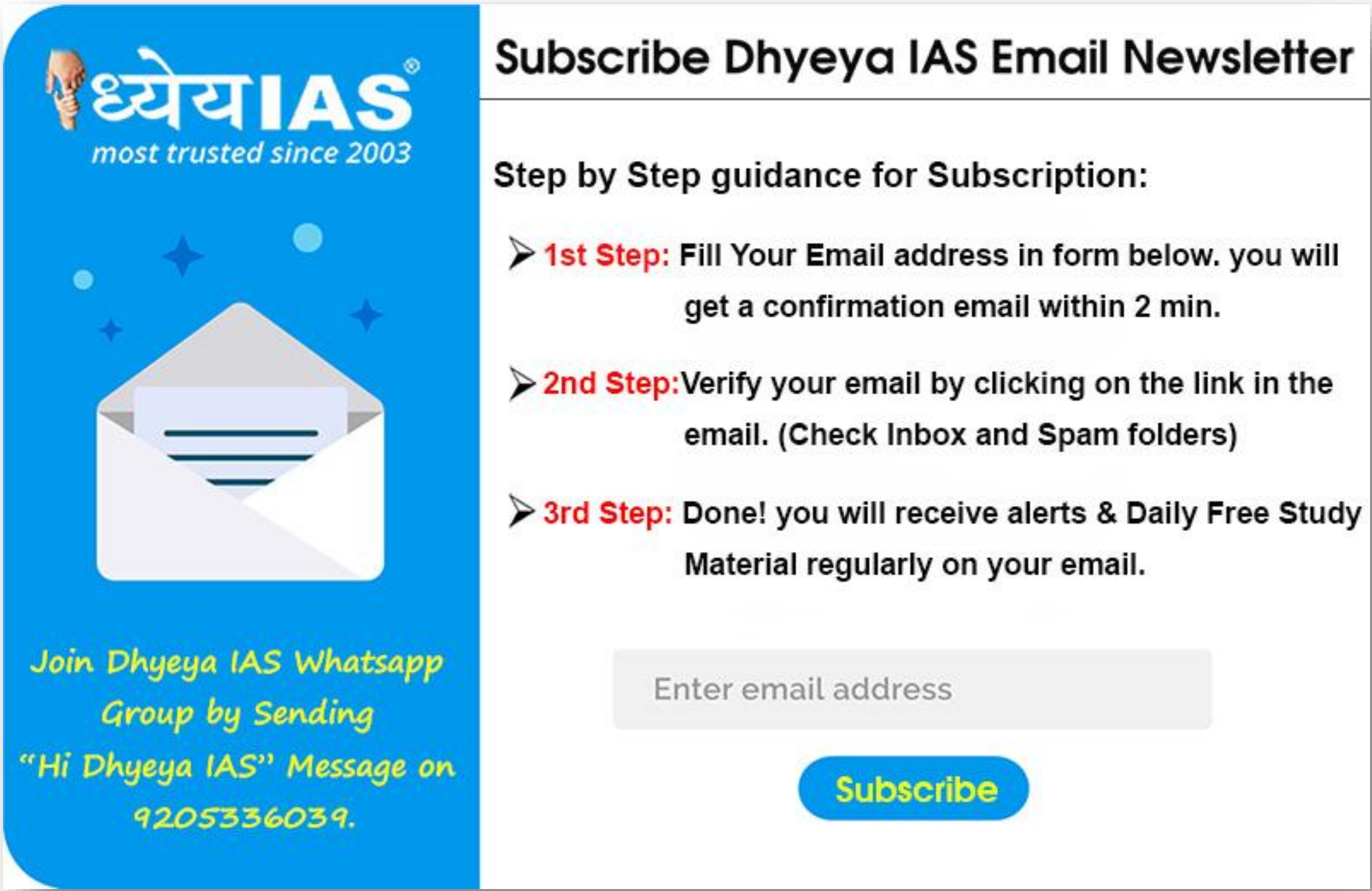

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com